

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION 1400 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

DEVENDRA FAUJDAR

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH.

...RESPONDENTS

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO(S). 4, 7 AND 8 ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 28.02.2025.	
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Copy of the letter dated 11-03-2025 constituting the four-member Committee under the directions of the Divisional Forest Officer, Mathura.	
3.	<u>ANNEXURE-2</u> Copy of the comprehensive report prepared by the Divisional Forest Officer, Mathura, in compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon'ble NGT.	
4.	<u>ANNEXURE-3</u> Copies of the Forest Offence Reports/ H2 cases and the complaint cases filed before the Learned Additional Chief Judicial Magistrate-I, Mathura.	
5.	<u>ANNEXURE-4</u> Copies of the First Information Report (FIR) no.	

	0341/2024 dated 22.11.2024 and the charge sheet filed before the Learned Additional Chief Judicial Magistrate-I, Mathura.	
6.	<u>ANNEXURE-5</u> Copy of the letter issued to the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura, requesting action under the Environment Protection Act, 1986.	
7.	<u>ANNEXURE-6 (Colly.)</u> Copy of the letter of authorization issued by District Magistrate, Mathura and conservator of Forests, Agra for Principal Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. instructing the undersigned to file and handle matters pertaining to the captioned case.	

Through

Date: 27.05.2025
Place: New Delhi

Priyanka Swami

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR
STATE OF UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION 1400 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

DEVENDRA FAUJDAR

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH.

...RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO(S). 4, 7 AND 8 ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 28.02.2025.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Hon'ble National Green Tribunal has passed an order dated 28.02.2025 in the matter of original application 1400/2024 Devendra Faujdar Verus State of Uttar Pradesh. The executive part of the order is as follows-

".....2. Learned counsel for the applicant has referred to the FIR (Annexure A – 3) which contains the details of the trees that have been uprooted. He has also referred to the photographs filed collectively as Annexure A –1 Pages 24 onwards to show that the JCB was used to uproot the trees and also to demonstrate that the trees have been uprooted in the area concerned. He has also referred to the complaint (Page 87) made to the District Magistrate, giving the details of the trees which have been uprooted and submits that in the FIR the proper sections have not been included and the Forest Authorities have not taken action. He has further submitted that in respect of the uprooting of trees in Tikari Garden, Darah Ghat, Ramanreti, Vrindavan, OA No. 1246/2024 is already pending and that in Mathura the forest officers have failed to protect the trees, therefore, repeated incidents of uprooting of trees are taking place.

3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. The respondent no. 7 – Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same, and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks..."

2. That, in pursuance of the order dated **28-02-2025**; a **four-member Committee** was duly constituted under the directions of the Divisional Forest Officer by letter dated **11-03-2025**. The Committee comprised (i) the Sub-Divisional Forest Officer, Mathura; (ii) the Range Forest Officer, Unit Range Mathura; (iii) the Forester, Mathura Range; and (iv) the Forest Guard, Kosi Range. Copy of the letter dated 11-03-2025 constituting the four-member Committee under the directions of the Divisional Forest Officer, Mathura is annexed herewith and marked **ANNEXURE-1**.
3. That, in continuation of the constitution of the Committee, the aforesaid members, headed by the Sub-Divisional Forest Officer, Mathura, proceeded to carry out a joint inspection of Village Sheoba, Tehsil Govardhan, District Mathura. In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively and after analysis of the facts, a comprehensive report *'disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them'* has been prepared by Divisional Forest Officer, Mathura in compliance of the order dated 28.02.2025. The report of the committee has been attached as enclosure with the report of the Divisional Forest Officer.
4. It was found in the in spot inspection that since the spot of offence falls in Taj Trapezium Zone declared by Hon'ble Supreme Court of India in W.P.

13381/1984, No Tree can be felled here without prior permission of Hon'ble Supreme court. Hence felling of any tree (whether Prohibited or exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976) is illegal on the spot. Thus total of 41 trees were illegally felled in two separate events dated 21.11.2024 and 08.12.2024 on the spot. Also 49 bush/ Shrubs were cleared on the spot. Copy of the comprehensive report prepared by the Divisional Forest Officer, Mathura, based on the field inspection conducted by the Committee and analysis of facts is annexed herein as ANNEXURE-2

5. That, consequent upon the receipt of the information of the offence by forest authorities on 21.11.2024 and 08.12.2024, Forest Offence Reports/ H2 cases were registered as **Case Nos. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024**, in accordance with the provisions of the *Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976*. The said Act imposes statutory restrictions on felling and removal of trees, and provides as follows:

Section 4 – Restriction on felling and removal of trees:

"Except as provided in this Act or the rules made thereunder, no person shall—

(a) fell any tree standing on any land, whether included in a holding or not; or

(b) cut, remove or otherwise dispose of any tree other than a tree which is completely dead and has fallen without the aid of human agency on any such land."

Section 10 – Penalty for contravention:

"Whoever fells or causes to be felled any standing tree, or cuts, removes or otherwise disposes of any fallen tree, in contravention of the provisions of Section 4, or contravenes any condition of any permission granted under this Act, shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both."

Additionally, since the area of offence falls in Taj Trapezium Zone, the Forest offence reports/ H2 cases mentioned offence of violation of directions of Hon'ble Supreme court of India.

With respect to areas falling in Taj Trapezium Zone, Hon'ble Supreme court of India has directed in order dated 08.05.2015 in I.A. no. 527 in Writ Petition 13381/1984 (M.C. Mehta VS Union of India) that No Tree can be felled in TTZ area without prior permission of Hon'ble Supreme court.

It is submitted here that the concerned authorities took sincere note of the complaint which was received regarding the illegal felling of trees and initiated immediate action without any delay.

6. That, in view of the above statutory violation, proceedings were initiated against the offenders and after due investigation by investigation officers, complaint cases based on investigation of Forest Offence Reports were duly filed by the Forest department before the Learned Additional Chief Judicial Magistrate- I, Mathura, on **29-03-2025**. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. **Copies of the Forest Offence reports/ H2 cases and the complaint cases filed in Ld. ACJM-I court have been enclosed in the report of Divisional Forest Officer and have been annexed herewith as ANNEXURE-3**
7. In addition, thereto, a **First Information Report (FIR) no. 0341/2024 dated 22.11.2024** based on written complaint/ Tehrir of forest authorities was lodged for appropriate penal action under the applicable legal provisions. The investigation was also completed by the investigating officer of F.I.R. and charge sheet has been filed by the police in the Ld. Court of Additional Chief Judicial Magistrate-I Mathura. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court, Mathura for trial and punishment. **Copies of the FIR and the charge sheet have been enclosed in the report of Divisional Forest Officer and have been annexed herewith as ANNEXURE-4.**
8. The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized and is currently kept in the custody of the Forest department which has been verified by the enquiry committee.
9. A request has been made to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura to take appropriate action under Environment Protection Act, 1986 in this matter. **Copy of the letter issued by the Divisional Forest Officer/ Divisional Director, Social Forestry Division,**

Mathura to the regional officer UPPCB is annexed herein as ANNEXURE-5.

10. The conclusion of the report submitted by Divisional Forest Officer herewith as Annexure -2 concludes as follows:-

“In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively for compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon’ble NGT in the matter and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-

- a) *Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.*
- b) *The complaint cases have been filed in Hon’ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.*
- c) *Charge sheet has been filed in Hon’ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.*
- d) *Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon’ble court finds suitable may be given to offenders.”*

11. It is pertinent to mention here that tree felling is a serious offence and especially in the Taj Trapezium Zone which is a specified eco-sensitive zone as per the **Hon'ble Supreme Court's order dated 08.05.2015 in Writ Petition No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India)**. It is submitted here that all necessary action has been taken by the concerned authorities. The Complaint Cases based on investigation in POR/H2 cases of forest department have been filed on date 29.03.2025 before the Ld. Additional Chief Judicial Magistrate-I (ACJM-I), Mathura and the chargesheet based on investigation in F.I.R. no. 0341/2024 dated

22.11.2024 has been filed by police in Ld. ACJM-I court , Mathura. The further legal proceedings are ongoing in the Ld. ACJM-I court. Therefore further decision as to taking punitive action is pending.

12. That the undersigned has been authorized by the District Magistrate, Mathura to file reply on his behalf. Also the Principal Secretary, Department of Environment, Forest & Climate change, Govt. of U.P. has approved the instructions and Conservator of Forests, Agra has instructed the undersigned for further legal action and handling of all matters pertaining to the captioned case on behalf of Principal Secretary. **Copy of the authorisation letters are being annexed herein as ANNEXURE-6 (Colly).**

13. That, in view of the compliance measures detailed hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the present reply on record. It is further submitted that the deponent has taken effective measures to resolve the situation and operative portion of the Hon'ble Tribunal's order dated 28-02-2025 has been duly complied with, and the same is tendered herewith for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is also submitted that any further directions as may be issued by this Hon'ble Tribunal shall be duly complied with, in a timely manner and in the larger interest of environmental protection and public welfare.

Through

Date: 27.05.2025

Place: New Delhi



PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE OF UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com



IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
 PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
 ORIGINAL APPLICATION 1400 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEVENDRA FAUJDAR

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Rajanikant Mittal aged about 41 years S/o Shri Ramesh Chand Gupta presently posted as Divisional Director, Social Forestry Division, Mathura, Uttar Pradesh having an office at Mathura. Presently in New Delhi

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal on behalf of Respondent no(s). 4, 7 and 8.
2. That the accompanying affidavit has been drafted by our counsel upon instructions based on the official Records.
3. That the contents of the accompanying Reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.



Rafey

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Mathura..... on this 27th day of May, 2025 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Raghu
DEPONENT

Deponent Identified
Chamra
As:
(SATISH CHAND VARSHNEY)



इस शपथ पत्र पत्रक को मेरे समक्ष
श्री रजनीकांत मिश्रा
जिसका पहचान सहयोगी नाबालिग ए.
कि... 1880
पर... 35
प्राप्त है।
कृष्ण गोपाल अग्रवाल
पब्लिक नॉटरी पब्लिक

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।
पत्रांक 4115 /35-3 मथुरा, दिनांक 11/03).2025

आदेश

मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल मूल आवेदन सं0-1400/2024 देवेन्द्र फोजदार बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु निम्न प्रकार जॉच समिति गठित की जाती है-

- | | |
|---|---------|
| 1-श्री सुशील कुमार सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा | अध्यक्ष |
| 2-श्री बृजेश सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, यूनिट रेंज | सदस्य |
| 3-श्री श्याम सिंह, वनदरोगा | सदस्य |
| 4-श्री नरेन्द्र कुमार, वनरक्षक | सदस्य |

उक्त जॉच समिति उपरोक्त प्रकरण की जॉच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट इस जारी आदेश दिनांक से विलम्बतम सात दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। चूँकि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4115 / दिनांकित ।

1-प्रतिलिपि उपरोक्त जॉच समिति के अध्यक्ष/सभी सदस्यों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त जॉच समिति को यथाआवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

Report of Divisional Director, Social Forestry Division, Mathura in compliance of order dated 28.02.2025 of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. -1400/2024

A) Background:

The Hon'ble National Green Tribunal has issued an order dated 28.02.2025 in OA 1400/2024 (Devendra Faujadar Vs. State of UP & Ors.) filed by the Petitioner Shri Devendra Faujadar. The effective portion of the order is as follows:-

"...3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. The respondent no. 7 - Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks.

5. List on 30.05.2025."

B) Details of the incident and investigation: -

A 4 member committee was formed by the order dated 11.03.2025 Of divisional director, social forestry division, Mathura under chairmanship of SDO (Forest), Mathura to comprehensively enquire into the matter and submit a report based on field investigation and documents. The committee submitted its report dated 11.04.2025 (attached as annexure no.1). Based on the report of the committee and the analysis of the facts of the case, the details of the incident and investigation are as follows:-

1. On 21.11.2024, on the basis of complaint received regarding illegal felling of trees on the spot of offence, Forest officials immediately reached the spot of reported offence viz. village Sheoba Bhag, Singapatti, Tehsil- Govardhan at around 11:40 AM.

2. Upon field investigation, it was found that on the side of the Chak Road, total 27 trees and 49 Bush had been uprooted apparently with the help of some heavy machinery/JCB. Relevant legal action including filing of Forest Offence case (H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024), Lodging an F.I.R. (0341/2024 dated 22.11.2024) in PS- Magorra and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

3. Meanwhile again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, the Forest officials reached the incident spot in village Sheoba Bhag Singapatti on 08.12.2024 at about 08:00 A.M. and found that in addition to the trees uprooted in the earlier incident dated 21.11.2024, 14 more trees were uprooted from the side of Bamba /canal on the side of the Chak Road. Relevant legal action including filing of

Forest Offence case (H2 case no. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024), sending Tahrir (written complain report to police) in PS- Magorra and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

3. As per investigation report of forest offence report, charge sheet filed by police in the F.I.R and report of the enquiry committee, the purpose in incidences, prima facie seemed widening / clearance of Chak road.

4. As per report of the enquiry committee,

(i) Since the land is not Forest land, hence provisions of Indian Forest Act, 1927 or Forest Conservation Act, 1980 / Van Sarankshan aur Samvardhan Adhiniyam, 2023 are not applicable.

(ii) Also, there is no mention of any evidence of violation of wildlife protection Act, 1972 in either investigation report of Forest Offence reports or charge sheet filed by the police in the Ld. ACJM-I Court, Mathura after investigation in the F.I.R. Enquiry committee also could not find any evidence of violation of Wildlife Protection Act, 1972 during its field inspection.

5. **The number and nature of trees cut/ uprooted** as per report of the enquiry committee is as follows:-

(A) detail of illegally felled 27 trees and 49 shrubs/ bushes on 21.11.2024 as per Forest Offence report and F.I.R. in the case :

S. No.	Name Of Species.	Girth/ Circumference in cm	Total Trees/ Shrub of the species	Nature	Whether Prohibited/ exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976
1	Neem(Azadirachta indica)	140	9 Neem	Tree	Prohibited
2	Neem(Azadirachta indica)	60			
3	Neem(Azadirachta indica)	54			
4	Neem(Azadirachta indica)	70			
5	Neem(Azadirachta indica)	67			
6	Neem(Azadirachta indica)	53			
7	Neem(Azadirachta indica)	70			
8	Neem(Azadirachta indica)	73			
9	Neem(Azadirachta indica)	127			
10	Peepal(Ficus religiosa)	60	1 Peepal	Tree	Prohibited
11	Shisham(Dalbergia sissoo)	44	1 Sheesham	Tree	Prohibited

12	Shahtoot(Morus alba)	60	2 Shahtoot	Tree	Exempted
13	Shahtoot(Morus alba)	70			
14	Poplar(Populus)	70	6 Poplar	Tree	Exempted
15	Poplar(Populus)	86			
16	Poplar(Populus)	62			
17	Poplar(Populus)	57			
18	Poplar(Populus)	62			
19	Poplar(Populus)	65			
20	Jamun(Syzygium cumini)	50			
21	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	48	1 Papdi	Tree	Exempted
22	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	35	5 Vilayati Babool	Tree	Exempted
23	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	89			
24	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	45			
25	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	60			
26	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	67			
27	Arjun(<i>Terminalia arjuna</i>)	77	1 Arjun	Tree	Prohibited
28	Nimbu(<i>Citrus limon</i>)	27	27 Nimbu	Shrub/ Bush	Exempted
29	Karonda(<i>Carissa carandas</i>)	22	22 Karonda	Shrub/ Bush	Exempted

(B) Illegally felled trees as per the second registered crime dated 08.12.2024 in the case

S. No.	Name Of Species.	Girth/ Circumference in cm	Total Trees/ Shrub of the species	Nature	Whether Prohibited/ exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976
1	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	106	8 Neem	Tree	Prohibited
2	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	78			
3	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	108			

4	Neem(Azadirachta indica)	105			
5	Neem(Azadirachta indica)	98			
6	Neem(Azadirachta indica)	155			
7	Neem(Azadirachta indica)	120			
8	Neem(Azadirachta indica)	125			
9	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	122	3 Papdi	Tree	Exempted
10	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	100			
11	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	140			
12	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	68	2 Vilayati Babool	Tree	Exempted
13	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	80			
14	Chonkar(Prosopis cineraria)	92	1 Chonkar	Tree	Exempted

Since the spot of offence falls in Taj Trapezium Zone declared by Hon'ble Supreme Court of India in W.P. 13381/1984, No Tree can be felled here without prior permission of Hon'ble Supreme court. Hence felling of **any tree** (whether Prohibited or exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976) is illegal on the spot. Thus total of 41 trees were illegally felled in two separate events dated 21.11.2024 and 08.12.2024 on the spot. Also 49 bush/ Shrubs were cleared on the spot.

6. Immediate field investigation revealed that **the following persons were involved** in the said offence:-

1. Ravindra s/o Prem Singh R/o village Bhadar post Saukh Tehsil Govardhan

Police Station Magorra District Mathura

2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash s/o Mukhtiyar R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura

3. Netrapal s/o Shyam Singh alias Gulab Singh R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura

4. Pushendra s/o Netrapal R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura

5. Digambar s/o Hari Singh R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura

The involvement of the above offenders was established in the charge sheet file by police in Ld. ACJM-I court, Mathura after detailed investigation in F.I.R.(no. 341/2024, PS- Magorra). The involvement of the above offenders has also been established in complaint cases filed in Ld. ACJM-I court, Mathura by forest department in Forest Offence cases viz. H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and H2 case no. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024.

C) Action Taken against the offenders: -

(1) After first incidence, the concerned Forest officials of Govardhan Range has lodged the Forest Offence Report (H2 CASE) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 against 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.2 of annexure no.1)**

(2) A Tehrir/written complaint was submitted by forest officials against 05 named persons responsible for the offence in the Magorra Police Station on 21.11.2024. On the basis of Tehrir, an First Information Report (FIR) No. 0341/2024 dated 22.11.2024 was registered against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.4 of annexure no.1)**

(3) again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, forest officials issued Second Forest Offence Report (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.5 of annexure no.1)**

(4) The forest officials submitted a Tehrir/Written complaint in police station Magorra on 08.12.2024 itself against 05 named responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

Police included the offence in their investigation which was being done in F.I.R. no. 0341/2024 dated 22.11.2024 lodged in earlier offence which has been mentioned in points F of 3, 4 and 5 in the sequence of case diary number 3 dated 09.12.2024 of crime number 0341/2024 earlier registered in the police station Magorra. **(copy attached as enclosure no.7 of annexure no.1)**

(5) In both the cases of illegal tree felling, departmental forest offence reports (H2 Case) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 investigation was completed by the nominated investigating officer and the complaint cases have been filed in Ld. ACJM-I, Mathura. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. **(copy attached as enclosure no.8 of annexure no.1)**

(6) In relation to both the incidents of illegal tree felling that took place in the case, based on the complaints/ Tehrirs given by the forest officials in the police station Magorra on separate dates 21.11.2024 and 08.12.2024, the crime (F.I.R.) number 0341/2024 was registered and the investigation was also completed by the investigating officer and charge sheet has been filed in the Hon'ble Court of Additional Chief Judicial Magistrate First Mathura under the same sections mentioned above against the same accused mentioned in paragraph-6 of section B viz **Details of the incident and investigation** above. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. **(copy attached as enclosure no.9 of annexure no.1)**

(7) The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized and is currently kept in the custody of the Forest department which have been verified by the enquiry committee. **(copy attached as enclosure no.10 of annexure no.1)**

(8) Request has been made to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura to take appropriate action under Environment Protection Act, 1986 in this matter. **(copy attached as annexure no.2)**

D) Conclusion: -

In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively for compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon'ble NGT in the matter and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-

1. Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
2. The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
3. Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
4. Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.

been filed in Ld. ACJM-I, Mathura. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. (copy attached as enclosure no.8 of annexure no.1)

(6) In relation to both the incidents of illegal tree felling that took place in the case, based on the complaints/ Tehrirs given by the forest officials in the police station Magorra on separate dates 21.11.2024 and 08.12.2024, the crime (F.I.R.) number 0341/2024 was registered and the investigation was also completed by the investigating officer and charge sheet has been filed in the Hon'ble Court of Additional Chief Judicial Magistrate First Mathura under the same sections mentioned above against the same accused mentioned in paragraph-6 of section B viz **Details of the incident and investigation** above. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. (copy attached as enclosure no.9 of annexure no.1)

(7) The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized and is currently kept in the custody of the Forest department which have been verified by the enquiry committee. (copy attached as enclosure no.10 of annexure no.1)

(8) Request has been made to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura to take appropriate action under Environment Protection Act, 1986 in this matter. (copy attached as annexure no.2)

D) Conclusion: -


In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively for compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon'ble NGT in the matter and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-

1. Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
2. The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
3. Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
4. Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.


Range Officer,
Govardhan
Range


SDO, Mathura
Sub-division


Divisional Director,
Social Forestry
division, Mathura


वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा

अनुकमाणिका

क्रमांक	विवरण	संलग्नक नं०	पृष्ठ संख्या
	प्रकरण में गठित जाँच समिति की रिपोर्ट दिनांक 11.04.2025	एनेक्जर-1	7-14
1	अवैध पातन स्थल का नजरी नक्सा, फोटोग्राफ्स एवं गूगल अर्थ मैप्स	एक्लोजर-1	15-18
2	दर्ज विभागीय केस (एच-2केस) 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024	एक्लोजर-2	19
3	अवैध पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की फर्द बरामदगी दिनांक 21.11.2024	एक्लोजर-3	20
4	पुलिस एफ0आई0आर0सं0-0341/2024 दिनांक 22.11.2024 थाना मर्गोरा, मथुरा	एक्लोजर-4	21-26
5	दर्ज विभागीय केस (एच-2केस) 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024	एक्लोजर-5	27
6	अवैध पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की फर्द बरामदगी दिनांक 08.12.2024	एक्लोजर-6	28
7	पुलिस एफ0आई0आर0 सं0-0341/2024 में केस डायरी नं0-03 की प्रति एवं 17/गोवर्धन/2024-25	एक्लोजर-7	29-35
8	विभागीय केस (एच-2केस) 15/गोवर्धन/2024-25 में जाँच रिपोर्ट मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा में दाखिल चार्जशीट दिनांक 29.03.2025	एक्लोजर-8	36-93
9	पुलिस एफ0आई0आर0सं0-0341/2024 दिनांक 22.11.2024 थाना मर्गोरा, मथुरा में चार्जशीट दिनांक 02.01.2025 मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा में दाखिल।	एक्लोजर-9	94-181
10	अवैध पातन प्रकरण में जब्त प्रकाष्ठ का कमेटी द्वारा निरीक्षण के फोटोग्राफ्स	एक्लोजर-10	182
11	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्र	एनेक्जर-2	183

Enquiry Report of the committee constituted to enquire into matter covered in order dated 28.02.2025 in Original Application No. -1400/2024 filed in The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

A) Background:

The Hon'ble National Green Tribunal has issued an order dated 28.02.2025 in OA 1400/2024 (Devendra Faujadar Vs. State of UP & Ors.) filed by the Petitioner Mr. Devendra Faujdar. The effective portion of the order is as follows:-

“ 1. In this original application, the applicant has alleged illegal felling of more than 100 trees in Magogra, Mathura district falling within the Taj Trapezium Zone. The applicant alleges that he is the owner of agricultural land measuring 8-10 acres, duly fenced having a garden with several mature trees including Peepal, Jamun, Lemon etc. The applicant alleges that the private respondents on account of some rivalry on 21.11.2024 had broken the wire fencing, uprooted about 100 trees and completely destroyed the orchard.

2. Learned counsel for the applicant has referred to the FIR (Annexure A-3) which contains the details of the trees that have been uprooted. He has also referred to the photographs filed collectively as Annexure A -1 Pages 24 onwards to show that the JCB was used to uproot the trees and also to demonstrate that the trees have been uprooted in the area concerned. He has also referred to the complaint (Page 87) made to the District Magistrate, giving the details of the trees which have been uprooted and submits that in the FIR the proper sections have not been included and the Forest Authorities have not taken action. He has further submitted that in respect of the uprooting of trees in Tikari Garden, Darah Ghat, Ramanreti, Vrindavan, OA No. 1246/2024 is already pending and that in Mathura the forest officers have failed to protect the trees, therefore, repeated incidents of uprooting of trees are taking place.

3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4 The respondent no. 7 - Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks.

5 List on 30.05.2025.”

B)Details of the proceedings of the committee- In compliance with the order dated 28.02.2025 passed in the original application number 1400/2024 Devendra Faujdar vs. State of Uttar Pradesh and others filed in the Hon'ble National Green Tribunal, a committee was constituted for on-site inspection under the Direction of Sub-Divisional Forest Officer, Mathura for identification of cut/uprooted trees and bush/Shrubs vide letter number 4115/35-3 dated 11.03.2025 of the office of Divisional Director social forestry division, Mathura

1. The committee constituted in the case conducted a field inspection on 18.03.2025. During the inspection of the site of incident Khasra number 698^क (Chak Road) Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura, it was found that the soil from both sides of the said Chak Road has been dug out by JCB and dumped. And the Chak Road has been paved with bricks. On a thorough inspection of the pits made of soil dug out by JCB machine from both sides of the Chak Road, it was found that while digging the soil, the trees and bush/Shrubs standing on both sides of the Chak Road have been uprooted by the JCB machine. A view map of the site of incident was made on the spot and photographs were taken and the uploaded copy of the view from Google Earth timeline before the incident (**copy attached as enclosure no.1**)

2. After filed inspection, from perusal of documents and investigation the **Details of the incident and investigation** are as follows: -

(i) On 21.11.2024, on the basis of complaint received from the office, Forest Guard Mr. Kushalpal Singh along with Mr. Radheshyam Forest Guard reached the reported offence spot village Sheoba Bhag Singapatti at 11:40 AM and found that on the side of the Chak Road, there were 9 Neem trees with circumference 140,60,54,70,67,53,70,73,127 cm respectively, 1 Peepal tree with circumference 60 cm, 1 Sheesham tree with circumference 44 cm, 2 Mulberry trees with circumference 60 and 70 cm, 6 Poplar trees with circumference 70,86,62,57,62,65 cm respectively, 1 Jamun tree with circumference 50 cm, 1 Papadi tree with circumference 48 cm, 5 Prosopis Julliflora trees with circumference respectively 35,89,45,60,67 cm, 1 tree Arjun circumference 77 cm, total trees 27 and 27 bush/ Shrubs of Nimbu and 22 bush/Shrubs plants of Karonda were uprooted on the spot probably with the help of JCB.

(ii) Thus upon field investigation of forest officials, it was found that on the side of the Chak Road, total 27 trees and 49 Bush had been uprooted apparently with the help of some heavy machinery/JCB. Relevant legal action including filing of Forest Offence case (H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024) (**H2 case copy attached as enclosure no.2**) along with Fard recovery (**copy attached as enclosure no.3**) Lodging an F.I.R. (0341/2024 dated 22.11.2024) in PS- Magorra (**copy attached as enclosure no.4**) and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

(iii) In departmental H2 case number 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 the investigation officer appointed was Forester Mr. Aman Chaudhary, Section Officer Chaumuhan Govardhan Range. In the case, the concerned forest guard Mr. Kushalpal Singh lodged a complaint at the police station Magorra on 21.11.2024 and police registered crime

number (FIR) 0341/2024 dated 22.11.2024. The investigation of the said crime was investigated by Mr. Ravindra Kumar Yadav, Sub Inspector, Police Station Magorra.

(iv) Meanwhile, on the information received from a special informant, the concerned Forest Guard Mr. Kushalpal Singh Govardhan Range and Mr. Radheshyam Forest Guard Govardhan Range, reached the incident spot in village Sheoba Bhag Singapatti on 08.12.2024 at about 08:00 A.M. and found that in addition to the trees uprooted earlier on the side of the Chak Road, 8 Neem trees were uprooted from the side of Bamba / (canal) respectively with circumference 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, and 125 cm, 3 trees Papadi with circumference 122, 100, 140 cm, 2 trees Prosopis Julliflora with circumference 68, 80 cm, and 1 tree Chonkar with circumference 92 cm, a total of 14 trees are uprooted on the spot. These have been uprooted probably with the help of JCB machine.



(v) A report was made on the spot in the case of felling of trees again on the side of the same incident of Chak Road situated in village Sheoba Bhag Singapatti, Police Station Magorra, Tehsil Govardhan, District Mathura again Departmental Forest Crime Number (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 was issued. In the above mentioned case of illegal tree felling, the investigation of the issued Departmental Forest Crime (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 was also given to Mr. Aman Chaudhary, Forester /Section Officer Chaumuhon Govardhan Range.

(vi) Then a written complaint/tehrir was given in Magorra dated 08.12.2024 by the concerned Forest Guard Mr.Kushalpal Singh

(vii) On 22.11.2024, under the investigation of the previously registered crime number (FIR) 0341/2024 dated 22.11.2024, the investigation was started by including/registering the crime as point F of serial number 3, serial number 4 and 5 of the case diary number CD 3 of the investigating officer Mr. Ravindra Kumar Sub Inspector Police Station Magorra. (Copy of Issued Departmental Forest Crime H2 Case Number 17/Govardhan /2024-25 dated 08.12.2024(copy attached as enclosure no.5), Recovery Memo (copy attached as enclosure no.6) and Case Diary Number 3 of Police Station Magorra dated 09.12.2024 (copy attached as enclosure no.7).

3. Person responsible for the offence :- In both the cases of illegal tree felling, departmental forest crime (H2 case) number 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and number 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 and crime (FIR) number 0341/2024 dated 22.11.2024 accused 1. Ravindra son Prem Singh resident village Bhadar post Saukh tehsil Govardhan police station Roadora district Mathura 2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash son Mukhtiyar 3. Netrapal son Shyam Singh alias Gulab Singh 4. Pushpendra son Netrapal 5. Digambar son Hari Singh said residents of village Shyoba Bhag Singapatti post Saukh tehsil Govardhan police station Roadora district Mathura were responsible for violation of section 4 and 10 Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and violation of order of Hon'ble supreme court dated 08.05.2015 in IA No. 527 in wp 13381/1984.


5. The number and nature of trees cut/ uprooted

In the above mentioned case of illegal tree felling, the committee constituted for the field inspection of the incident spot, uploading the Google Earth timeline before the incident and after the incident and observing the same, legal action taken in the case, examination of records etc., after investigating the findings of the committee, The number and nature of trees cut/ uprooted is as follows:-

(i) Illegal felled trees and bush/Shrubs as per the date of first registered crime in the case 21.11.2024

S. No.	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	S.No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	Grand total		Prohibit ed & Non Prohibit ed
						Species	Total number of Trees and bush/Shrubs	
1	Neem(Azadirachta indica)	140	16	Poplar(Populus)	62	Neem(Azadirachta indica)	09	Prohibit ed
2	Neem(Azadirachta indica)	60	17	Poplar(Populus)	57	Peepal(Ficus religiosa)	01	Prohibit ed
3	Neem(Azadirachta indica)	54	18	Poplar(Populus)	62	Shisham(Dalbergia sissoo)	01	Prohibit ed
4	Neem(Azadirachta indica)	70	19	Poplar(Populus)	65	Shahtoot(Morus alba)	02	Non-Prohibit ed
5	Neem(Azadirachta indica)	67	20	Jamun(Syzygium cumini)	50	Poplar(Populus)	06	Non-Prohibit ed
6	Neem(Azadirachta indica)	53	21	Papdi/chilbii(Holoptelea integrifolia)	48	Jamun(Syzygium cumini)	01	Prohibit ed
7	Neem(Azadirachta indica)	70	22	Prosopis juliflora	35	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	01	Non-Prohibit ed
8	Neem(Azadirachta indica)	73	23	Prosopis juliflora	89	Prosopis juliflora	05	Non-Prohibit ed
9	Neem(Azadirachta indica)	127	24	Prosopis juliflora	45	Arjun(<i>Terminalia arjuna</i>)	01	Prohibit ed
10	Peepal(Ficus religiosa)	60	25	Prosopis juliflora	60			
11	Shisham(Dalbergia sissoo)	44	26	Prosopis juliflora	67	Total number of trees	27	

12	Shahtoot(Morus alba)	60	27	Arjun(<i>Terminalia arjuna</i>)	77	Nimbu(<i>Citrus limon</i>) bush/Shrubs	27	Non-Prohibited
13	Shahtoot(Morus alba)	70	28	Nimbu(<i>Citrus limon</i>) bush/Shrubs	27 Plant	Karonda(<i>Cassia carandas</i>) bush/Shrubs	22	Non-Prohibited
14	Poplar(<i>Populus</i>)	70	29	Karonda(<i>Cassia carandas</i>) bush/Shrubs	22 Plant	Total number of bush/Shrubs	49	
15	Poplar(<i>Populus</i>)	86						

(ii) Illegally felled tree as per the second registered crime dated 08.12.2024 in the case

S. No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	S.No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	Grand total		Prohibited & Non Prohibited
						Species	Total number of Trees	
1	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	106	8	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	125	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	08	Prohibited
2	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	78	9	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	122	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	03	Non Prohibited
3	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	108	10	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	100	Prosopis juliflora	2	Non Prohibited
4	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	105	11	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	140	Chonkar (<i>Prosopis cineraria</i>)	1	Non Prohibited
5	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	98	12	Prosopis juliflora	68			
6	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	155	13	Prosopis juliflora	80	Total number of Trees	14	
7	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	120	14	Chonkar(<i>Prosopis cineraria</i>)	92			

Thus in both incidences, a total of 41 trees and 49 bush/Shrubs plants were illegally felled.

6. Person responsible :- As per the investigation of the offences registered in the case in question, the inquiry report and the charge sheet of the police, 41 trees and 49 shrubs have been illegally felled by the following accused.



1. Ravindra son of Prem Singh resident of village Bhadar post Saukh tehsil Goverdhan police station Roadora district Mathura.
2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash son of Mukhtiyar resident of village Sheoba Bhag Singapatti Post Saukh Tehsil Goverdhan Police Station Roadora District Mathura
3. Netrapal son of Shyam Singh alias Gulab Singh resident as above
4. Pushpandra son of Netrapal resident as above
5. Digamber son of Hari Singh resident as above

7. Applicability of other laws:-

(i) Since the land is not Forest land, hence provisions of Indian Forest Act, 1927 or Forest Conservation Act, 1980 / Van Sarankshan aur Samvardhan Adhiniyam, 2023 are not applicable.

(ii) Also, there is no mention of any evidence of violation of wildlife protection Act, 1972 in either investigation report of Forest Offence reports or charge sheet filed by the police in the Ld. ACJM-I Court, Mathura after investigation in the F.I.R. Enquiry committee also could not find any evidence of violation of Wildlife Protection Act, 1972 during its field inspection.

(C) Action taken:-

1) After first incidence, the concerned Forest officials of Govardhan Range has lodged the Forest Offence Report (H2 CASE) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 against 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

(2) A Tehrir/written complaint was submitted by forest officials against 05 named persons responsible for the offence in the Magorra Police Station on 21.11.2024. On the basis of Tehrir, an First Information Report (FIR) No. 0341/2024 dated 22.11.2024 was registered against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

(3) again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, forest officials issued Second Forest Offence Report (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.



(4) The forest officials submitted a Tehrir/Written complaint in police station Magorra on 08.12.2024 itself against 05 named responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

Police included the offence in their investigation which was being done in F.I.R. no. 0341/2024 dated 22.11.2024 lodged in earlier offence which has been mentioned in points F of 3, 4 and 5 in the sequence of case diary number 3 dated 09.12.2024 of crime number 0341/2024 earlier registered in the police station Magorra.

(5) In both the cases of illegal tree felling, departmental forest offence reports (H2 Case) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 investigation was completed by the nominated investigating officer and the complaint cases have been filed in Ld. ACJM-I, Mathura. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment **(copy attached as enclosure no.8)**.

(6) In relation to both the incidents of illegal tree felling that took place in the case, based on the complaints/ Tehrirs given by the forest officials in the police station Magorra on separate dates 21.11.2024 and 08.12.2024, the crime (F.I.R.) number 0341/2024 was registered and the investigation was also completed by the investigating officer and charge sheet has been filed in the Hon'ble Court of Additional Chief Judicial Magistrate First Mathura under the same sections mentioned above against the same accused mentioned in paragraph-6 of section B viz **Details of the incident and investigation** above. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment **(copy attached as enclosure no.9)**.

(7) The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized, recovered and are currently kept in the custody of the concerned Forest Guard, Mr. Kushalpal Singh, at the Saukh Kothi Nursery under the Govardhan Range of the Forest Division Mathura.

The committee has verified the above seized timber physically with the documents and found it to be correct **(committee inspection photographs copy attached as enclosure no.10)**.

D) Conclusion: -


In light of the case submitted in Ld. ACJM-I court, Mathura by Forest department based on report of investigation officers and charge sheet filed by police in F.I.R. and after field inspection by this committee and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-

1. Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
2. The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.

3. Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
4. Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.

Hence the report of the committee is submitted for the kind perusal.


(Narendra Kumar)
Forest Guard,
Kosi Range,
Mathura


(Shyam Singh)
Forester,
Mathura Range,
Mathura



(Brajesh Parmar)
Range Forest Officer,
Unit Range,
Mathura


(Sushil Kumar Singh)
Sub Divisional Officer
(Forest), Mathura Sub
division, Mathura

①

Enclosure No-1

श्री० राष्ट्रीय हरित अभियान नई दिल्ली में खोजित ओ.ए. संख्या 1400/2024 देवेन्द्र जोजदार बनाम
 उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28/02/2025 के अनुपालन में कार्यालय प्रभागीय
 निदेशक सा० वा० वन भाग मधुरा के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11-03-2025 से
 गठित समिति के द्वारा प्रकरण के घटना स्थल का स्थलीय विरीक्षण दि०- 18/03/2025
 को भोक्ता घटना स्थल का - नजरी नक्सा




रजवाह

संकेत

1- द्वितीय घटना अवैध वृद्धापातन दिनांक
 08/12/2024 को, B-C के
 मध्य दोनों तरफ XXXX चिह्न से
 दर्शाया गया है (14 वृद्धा अवैधपातन)

2- प्रथम घटना अवैध वृद्धापातन
 (27 पेड व 49 झाड़ियुआ पौधे)
 दिनांक 21/11/2024 को, A-B
 के मध्य XXXXX चिह्न से
 दोनों तरफ दर्शाया गया है।



ग्राम सभा
 ग्रामि

सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

(नेरक कुमार)
 वन सहायक
 कोसी रेंज

(इमाम सिंह)
 वन दरोजा
 मधुरा रेंज




(बुजेश सिंह)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 मीनट रेंज मधुरा


(सुशील कुमार सिंह)
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 मधुरा

महानदीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मूल आवेदन संख्या 1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुलान में कार्यालय प्रभागीय निदेशक के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 से गठित समिति द्वारा दिनांक 18.03.2025 को किये गये घटनास्थल के स्थलीय निरीक्षण के फोटोग्राफ्स -



7





आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 बजे घटना स्थल श्रीमोवा जमाता सीरापुर

पर कटी पड़ी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष

संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका

विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्योरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलार्ध	सेमी	आश्रित व्यक्ति
1-	नीम	140	सेमी	सम्पूर्ण पेड़
2-	"	60	"	"
3-	"	54	"	"
4-	पीपल	60	"	"
5-	शाद्वल	60	"	"
6-	पापुलर	70	"	"
7-	"	86	"	"
8-	"	62	"	"
9-	"	57	"	"
10-	"	65	"	"
11-	जाड़	50	"	"
12-	नीम	70	"	"
13-	"	67	"	"
14-	शाद्वल	70	"	"
15-	पापडी	48	"	"
16-	पापुलर	62	"	"
17-	शिसम	44	"	"
18-	नीम	53	"	"
19-	जमोली टलोरा	35	"	"
20-	नीम	70	"	"
21-	"	73	"	"
22-	अर्जुन	77	"	"
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता		बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	45	"	"
25-	"	60	"	"
26-	"	67	"	"
27-	नीम	127	"	"

0 से। पास वर्ग
नीम - 27 - पेड़
करोडा - 22 - पेड़
जालोनी लकड़ी
वजन लगभग
90 kg

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर


अनंद कुमार
वन रक्षक


अनंद कुमार
वन रक्षक

LCY7

दिनांक संख्या 15/गोवर्धन/2024-25

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ...

उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधि. 1976 की अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 21/11/2024 अधिक्षेत्र राजि. गोवर्धन

- 1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
 - 1. रवेन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम भदर, पो. सौख तहसील - गोवर्धन, धाना मर्गीरा जिला मधुरा
- 2. साक्षी का नाम
 - 2. सतवीर उर्फ सली 310 मुख्तयार
- 3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
 - 3. नेत्रपाल 310 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
- 4. मूल्य
 - 4. पुष्पेन्द्र 310 नेत्रपाल
- 5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन
 - 5. दिगम्बर 310 हरी
- 6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख
 - निवासीगण - ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पो. सौख तहसील - गोवर्धन, धाना - मर्गीरा जिला - मधुरा

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चक्रोड़ के छिनारे 9 पेड़ नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीराम जोलाई 44, 2 पेड़ सहदूत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापूलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 40, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू, 22 पौधे कर्दो (0-1) व्यास वर्ग की बिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।

गवाह -
(राधेश्याम) व.र.

महोदय,
निवेदन के साथ संलग्न कराना है कि आज दिनांक 21/11/2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनरझुड़ के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पर समय लगभग 10:40 AM को पहुँचे तो देखा कि चक्रोड़ के छिनारे पर 9 पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत डर गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीराम जोलाई 44, 2 पेड़ सहदूत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापूलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 40, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू (0-1) व्यास वर्ग की पौधे पर कनासी गयी। जो संलग्न हैं करामत लडडी को चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट-सौख तहसील - गोवर्धन, धाना मर्गीरा जिला मधुरा की सुपुर्देगी में दी गयी। सुपुर्देगीनामा संलग्न है तथा आस-पास रुढ़ने पर रात डमा ली कि उम्त पेड़ों की कौलम न. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखड़े जाये गये हैं। उम्त व्यक्तियों द्वारा उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

उप्राधीन निदेशक
सा. वा. वन प्रभाग
मधुरा
उम्त डिस की प्रथम
प्राथमिक अधिकारी नामित
के हेतु सादर प्रेषित है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज, मधुरा

15/11/24
2/11/2024
मधुरा

(कुशलपाल) व.र.

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा P.S. (थाना): मगोरा Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 21/11/2024 Date To (दिनांक तक): 21/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 056 Date and Time (दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 11 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
- (b) Address (पता): ग्राम श्योबा ,भाग नैनूपट्टी
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
- (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-75953XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड़ पीपल गोलाई 60, 2 पेड़ सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड़ पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड़ जामुन गोलाई 50. 1 पेड़ पापडी गोलाई 48. 1 पेड़ शीशम गोलाई 44, 5 पेड़ ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड़ अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Writ Petition(s) (Civil) No (s).13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 78953XXXXX एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट में है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है ।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): Ravindra Kumar Yadav अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403945

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

रत्र केस संख्या-17/गोवर्धन/2024-25

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

उ. प्र. वन संरक्षण अधि. अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 08/12/24 अधिकृत राजि श्री वंश

1976 की धारा 4/10 1. रवेन्द्र शं० प्रेमसिंह नि. ग्राम भदार पो. सौंख तहसील-गोवर्धन थाना मर्गीरा जिला - मथुरा

2. साक्षी का नाम 2. सतवीर उर्फ सली शं० मुख्तार

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 3. नेत्रपाल शं० श्याम सिंह उर्फ गुजाब सिंह

4. मूल्य 4. पुष्पेन्द्र शं० नेत्रपाल

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन 5. दिगम्बर शं० हरी सिंह निवासी गब-ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पो. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

लगभग 3 या 4 दिन पूर्व ग्राम श्योबा, भाग सीगापट्टी चकरोड़ के किनारे 8 पेड़ नीम जो. 106, 78, 108, 105, 98

155, 120, 125, 3 पेड़ पापड़ी जो. 122, 100, 140, तथा 2 पेड़ जमूलीप्लोरा जो. 68, 80, 1 पेड़ होंठर जो. 92 से-सी.

कुल 14 पेड़ों के बिना अनुमति के ज.स. मशीन द्वारा उखाड़े गये थे।

ज.स. मशीन द्वारा उखाड़े गये थे। ज.स. मशीन द्वारा उखाड़े गये थे।

G.P.S. N-27.4050 43 E-77.51866

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख मद्योदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08/12/24

को लगभग 08:00 AM बजे मुख्तार खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड़ के किनारे बम्बा की

तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुँचे।

तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नपत डी गयी जो क्रॉलम नम्बर

3 में दर्ज है। उम्त पेड़ों की फर्दि बरामदगी मोडे पर बनायी गयी जो संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौंख कोठी

नसीरी पर रखवाया गया है। आस पास इन्फे पर शात हुआ कि उम्त पेड़ों की क्रॉलम नं. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा

J.C.B. मशीन द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़े गये गये हैं। उम्त व्यक्तियों के द्वारा उ. प्र. वन संरक्षण अधि.

1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा मा. सर्वोच्च न्या. द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 08/05/2015

की अवमानना के तहत अपराध किया है

अतः स्थिति मद्योदय की सेवा में उचित है।

श्री राधेश्याम वनरक्षक

Handwritten signature and date 10/12/24

Handwritten text

Handwritten signature and text

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्योका भाग सींजा परी चक्रोड के डिनारे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	प्रजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण प्रकाष्ठ
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट: - लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

(राधेश्याम)
वनरक्षक
जोवर्धन रंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(कुशलपाल)
वनरक्षक
जोवर्धन रंज

थाना मर्गौरा।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125, 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छाँकर गोलाई 92 से0मी0 कुल 14 पेड उखाड़े मिले। उखाड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकडी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्गौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्गौरा जिला मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).13381/1984 M.C. MEHTA VERSUS UNION OF INDIA & ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विकृद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थायी पता :-

ग्राम - दौलतपुर बसाऊ,

पोस्ट व थाना - नौहझील, जिला - मथुरा

मो0 - 7895373793

प्रार्थी

(कुशलपाल)

वनरक्षक

गोवर्धन रेंज, प्रभास मथुरा

अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन

o/c

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोर्वा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 09/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 15:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

A

009

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 2 दिनांक 27.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी चौकी सौख पर उपस्थित आये हैं जिन्होंने मुकदमा उपरोक्त में पूर्व फर्द बरामदगी से अलग पेड काटे जाने के सम्बन्ध में एक फर्द बरामदगी की छायाप्रति मय प्रार्थना पः

य अन्य प्रपत्र मुझ विवेचक को प्राप्त कराये है। जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन प्रार्थना पत्र सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखडे मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125. 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 सेमी कुल 14 पेड उखडे मिले। उखडे पेडों की फर्ट बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्योरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्योरा जिला मथुरा के द्वारा जेसीबी द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

13381/1984 .. VERSUS UNION OF INDIA ORS LA No. 527 में दिये गये अ
दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त
व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता : ग्राम
दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो0 7895373793 हस्ताक्षर अपठनीय
अनुभाग अधिकार गोवर्धन प्रार्थी हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग
मथुरा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन फर्ट बरामदगी फर्ट बरामदगी आज दिनांक 08.12.2024 को
समय 09.00 बजे घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड किनारे पर कटी पडी लकडी को
निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10
के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 106 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त
सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 2 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 78 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष
क्र0सं0 3 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 108 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 4
प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 105 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 5 प्रजाति नीम
गोलाई से0मी0 98 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 6 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0
155 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 7 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 120 लम्बाई
से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 8 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 125 लम्बाई से0मी0
अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 9 प्रजाति पापडी गोलाई से0मी0 122 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त

सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 10 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 100 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 11 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 140 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 12 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 68 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 13 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 80 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 14 प्रजाति छोंकर गोलाई से०मी० 92 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष नोट: लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है। गवाह हस्ताक्षर नाम व पता हस्ताक्षर अपठनीय (राधेश्याम) वनरक्षक गोवर्धन रेंज जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त के वादी वनरक्षक कुशलपाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ प्राप्त करायी फर्द बरामदगी की छायाप्रति के अनुसार पेड़ों की जड़ों को दिखाया जिस पर नंबरिंग पड़ी है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अनूय

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 09/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted PL

SHO 10.12.24

H-3110-71/2024-25

11/4/2025

Enclosure-8

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।
पत्रांक 4406 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना: मथुरा
मथुरा।

विषय :- वन अपराध 17/गोवर्धन/24-25 व 77/प्रभाग/24-के शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 17/गोवर्धन/24-25 व 77/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1-शिकायत पत्र - 1

2-मूल एम-2 केस संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 सम्बन्धित संलग्नकों सहित

3-न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र - 1

4-वकालतनाम - 1

5-नजरीनक्सा - 1

6-मुल्लिमामन को दिये गये नोटिस की प्रतियों।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4406 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपसजिक को सूचित करें।

R
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

शिकायत पत्र

सेवा में,

न्यायालय, न्यायिक शब्दाधिकारी, मयुरा

17/जीवधन/2024-25

अभियोग सं. 47/प्रभागा 2024-25

(१) प्रथम सूचनावाता का नाम एवं पद कुशलपाल सिंह बनसिक

(२) अभियुक्तों का नाम व पता

(१) नाम शंकर शि० प्रभासिह मिश्रा नि. ग्राम अद्वार

(२) नाम सतवीर हर्ष सती पुत्र मुख्त्यार नि. ग्राम श्योवा आग सीगापट्टी

(३) नाम नेमधर पुत्र श्याम सिंह नि. ग्राम श्योवा आग सीगापट्टी

(४) नाम पुरुषोत्तम शि० नेमपाल नि. ग्राम श्योवा आग सीगापट्टी

(५) नाम दिगम्बर शि० हरोसिंह निवासी ग्राम श्योवा आग सीगापट्टी

निवास ग्राम अद्वार, श्योवा बाकबाना सीख

पाला मंगरी जिला अधुवा

(३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-

(१) तिथि 08/12/2024

(२) समय 8:00 AM

(३) स्थान :- (क) राजि श्योवा सीगापट्टी जिला अद्वार महसुल जीवधन

(ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम

(४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-

(१) किस प्रकार की क्षति की गई :-
नाजायज चरान/कटाना जोत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ने या तोड़ना आदि

(२) वन क्षति का विवरण :-

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या

(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (सि० मी० में)

(ग) नाजायज जोत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)

(ग) उ० प्र० पर्वतीय एवं पामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन / राजस्व की शोरी का विवरण :- 8 पेड़ सीमेंट जॉई - 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125
 3 पेड़ चापडी जॉई - 122, 100, 140 तथा 2 पेड़ लुलो मल्लीय जॉई - 68, 80
 तथा 2 पेड़ हाकिर जॉई - 32 सीमेंट कुल 14 पेड़ की बिना अनुमति के उखाड़ना।

(घ) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् 1956 की धारा 103 का उल्लंघन/राजस्व की शोरी :-

- (1) वन क्षति का अनुमानित मूल्य आद्यतन - 7,926 धर्मा
- (2) साक्षियों का नाम व पता :- मुख्य - 43,500/2
- (3) नाम ~~...~~ पुत्र
- (4) नाम ~~...~~ पुत्र
- (5) नाम ~~...~~ पुत्र

निवास ग्राम ~~...~~ बाकसावा
 जिला ~~...~~

(ङ) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत अपराध दण्डनीय है :-

- (1) दण्ड की धारा ~~...~~ 26 एवं 23
- (2) उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/10 एवं मा० सर्वोच्च प्राम्मल्य द्वारा 112 क्षेत्र में दिए गये प्रावधानों की अवमानना।
- (3) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् 1956 की धारा 103 का उल्लंघन।
- (4) नाजायज षोड से वेवखल करने के आवेग की धारा ~~...~~ 11-ए

(च) अधिवाचना
 अतः याचना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को क्रमांक 6 के (2) अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाय एवं नाजायज षोड से वेवखल किया जाय।

प्रमाणित
 राधिका अधिकारी
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 मेरठ

सिद्धांतकर्ता
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक बानिकी प्रभाग
 मथुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक बानिकी प्रभाग
 मथुरा

39

न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

न्यायालय श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उद्यम मथुरा।
 पाना मीरौरा जिला-मथुरा
 भारतीय वन अधिनियम धारा २६, ६१-ए०, ६३, ३३ आदि एवं वन संरक्षण अधिनियम १९७६ धारा ४/१०
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मथुरा
 भारतीय न्यायालय द्वारा १०८ क्षेत्र में दिये गये भारतीय न्यायालय।

श्रीमान्
 निवेदन है कि प्राचीन न्यायिक जन-सेवक होने के नाते वनपद के राजकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केंद्र में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थिति होने में प्राचीन असमर्थ रहेगा। इसलिये प्राचीन को और से श्री सुनील चन्द्र दासी एडवोकेट, पेनल मायर (न्यायिक अभिभावक) वन विद उपराजिक पुरबी करी
 अतः प्रार्थना है कि इस न्यायिक न्यायिक सुनवाई के दौरान प्राचीन को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की कृपा की जावे।

प्राचीन

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मथुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मथुरा

40

सकालतनामा

अवास्त श्रीमान अण्डर मुख्य-आर्थिक अधिकारी प्रथम, मधुप।

नं० मुकदमा 17/गणित/2024-25
77/प्रमाण/2024-25

तय १६ ई०
पक्षी
डी.एफ.डी. अर्जी
नाम मधुप
श्वेत्प्रभा प्रेमिष्ठुदयसह
अ अन्य रिक्तपदे

मैं कि डी.एफ.डी. को कि हमको मधुप और से श्री शशील चन्द्र वाणीय एडवोकेट करना इस मुकदमे में आवपक है इसलिए अपनी ओर से श्री शशील चन्द्र वाणीय एडवोकेट

अवास्त कातुनी महनताने पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस इस मुकदमा में हमारी ओर से सबूत दाखिल करे और प्रस्तुत करे और प्रायतः प्रत्येक प्रकार का और अन्य कार्मिक इस मुकदमा के सम्बन्ध में सञ्चाल पञ्चायत दाखिल व तस्दीक करे या याचदावा या सुलहनामा या दस्तबन्दारी दाखिल करे और रुपया यापतानी हमादा वावतानर नकद व बापसी स्टाम्प फोटो फीस व तत्तवाया वगैरह वसूल करके रक्षीव वे या अपनी जामिन से किसी को पक्ष मुकदमे कहे और कुल काम मुकदमे का एकजित या अलग-अलग मुकदमे के अन्त तक करे या आवश्यकता पत्र किसी को इस मुकदमे की प्रयो के वास्ते वकील नियत करे या अपील दायर करे वगैरह अपील से भेरी परफ से जवाब देही करे सब वकील का कार्य स्वयं अपने फिये हुए की तरह स्वीकार है और होगा नीच नुकताय साहोबात को इज्जियार होगा कि अगर महनताना तयापता इस्कायदह उनको वसूल न हो तो वह परबो व बहुत बचरह न करे इसलिए यह वकालतनामा सिख दिया कि सनद होंगे और आवश्यकता के समय काम आवे फतत तहरीर।

तारीख, सय १६ ई०

गयाह, तारीख

गयाह, तारीख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुप

नाम श्री...
नाम श्री...
नाम श्री...

41

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी इस प्रकरण में सर्वप्रथम पूर्व में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.24 की जाँच में दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्रा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड़ व कुछ झाड़ीनुमा पौधे जड़ से उखड़े हुये पड़े हैं। मौके पर उखड़े पड़े पेड़ों व झाड़ियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड़ पीपल 1 पेड़ सहतूत 2 पेड़ पापूलर 6 पेड़, जामुन 1 पेड़, शीशम 1 पेड़ पापड़ी 1 पेड़, अर्जुन 1 पेड़ व प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा के 5 पेड़ तथा नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे उखड़े पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिटटी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड़ व नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड़ सहित उखाड़े गये हैं। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेड़ों को व झाड़ीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1 सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिटटी डलवाने के दौरान उखड़वाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हरे और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह , रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्रा पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोर्रा व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की वृष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण ने बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक

42

08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड़, 3 पेड़ पापड़ी, 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा व 1 पेड़ छौंकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड़ से उखड़वा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा थाना मगोर्सा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाड़े गये पेड़ों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे0सी0बी0 से उखड़वाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाड़े जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड़ नीम, 3 पेड़ पापड़ी 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा (काबली बबूल) व 1 पेड़ छौंकर कुल 14 पेड़ को दोबारा जे0सी0बी0 लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोर्सा के द्वारा ही उखड़वाया गया है। उक्त उखड़वाये गये पेड़ों की सिनाख्त करने सौख कोटी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाड़े गये पेड़ों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेड़ों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिट्टी डालते समय कुछ पेड़ जे0सी0बी0 मशीन से उखड़ गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड़ बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाड़कर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे0सी0बी0 मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड़ व पौधों को उखड़वा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये! तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खड़े पेड़ 27 व 14 कुल 41 पेड़ तथा नीबू के 27 झाड़ीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाड़ीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब

(43)

सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाडीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोरा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अभिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाडीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोरा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 मय फर्द बरामदगी, सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

आज्ञाकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज।
पहला संज्ञा/35-1/गोवर्धन, दिनांक 14/03/2025

सेवा में
उप्राधीनस्थ
सा.वा. वन प्रभाग
मथुरा।

@mer_14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा
जाँच अधिकारी

महोदय,
उपरोक्त H2 केस संख्या 17/गोवर्धन/24-25 की जाँच श्री अमन चौधरी
वनदरोगा से करवाई गयी उनकी जाँच से सन्तुष्ट होकर केस को माननीय न्यायालय
में भेजने के संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

44

1151

राजिवाद सं० 77/2024-25

भागीय वाद सं० 77/प्रभा/2024-25

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

3-5 प्रभु सरक्षण अधि० अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 08/12/24 अधिकेत्र राजि गोवर्धन 1976 की धारा 4/10

- 1. रवेन्द्र शं० प्रेमसिंह नि. ग्राम भदार पो. सौंख तहसील-गोवर्धन थाना मर्गीत जिला - मथुरा
- 2. सतवीर उर्फ सती शं० मुख्त्यार
- 3. नेत्रपाल शं० श्याम सिंह उर्फ गुजाब सिंह
- 4. पुरपेन्द्र शं० नेत्रपाल
- 5. दिगम्बर शं० हरी सिंह निवासी गब- ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पो. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

2- साक्षी का नाम

श्री राधेश्याम वनरक्षक

3- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

लगभग 3 या 4 दिन पूर्व ग्राम श्योबा, भाग सीगापट्टी चकरोड़ के डिनारे 8 पेड़ नीम जो. 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125, 3 पेड़ पापड़ी जो. 122, 100, 140, तथा 2 पेड़ ज्जुलीप्लोरा जो. 68, 80, 1 पेड़ होंडर जो. 92 से श्री. कुल 14 पेड़ों के बिना अनुमति के ज.स. मशीन द्वारा उखाड़े

4- मूल्य

श्री. मथुरा 10/12/24

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध

G.P.S. N-27.4050 43 E-77.51866

में विशेष कथन

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख मद्दोदम

गवाह- (राधेश्याम) वनरक्षक

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08/12/24 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुख्त्यार खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड़ के डिनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नपत की गयी जो डॉलम नम्बर 3 में दर्ज है। उक्त पेड़ों की लकड़ी बरामदगी मोठे पर बनायी गयी जो संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौंख कोठी नर्सरी पर रखवाया गया है। आस पास रहने पर शक हुआ कि उक्त पेड़ों की डॉलम नं. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा ज.स. मशीन द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़े गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उ. प्र. प्रभु सरक्षण अधि. 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा प्रा. सर्वोच्च न्या. द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 08/05/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।


सेवा में,
 उ.प्र. मद्दोदम मथुरा।
 मद्दोदम, उक्त उल्लंघन की उचित प्रति जाँच अधिकारी नामित करने हेतु साफर उचित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा


अतः रिपोर्ट मद्दोदम की सेवा में उचित है।

(नेत्रपाल) व.र.

मजरी नक्सा घटना नं० 2 दिनांक 08/12/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25
 सहपर्ज F.I.R. सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024



घटना स्थल - ग्राम शमोखा भाग सीगा पर्ये तटसीक गोवर्धन खसरा संख्या 698 क चककी
14 पेडाका आबैध करान



संकेत - घटना स्थल जहाँ पेड व झाडी नुमा पीछे उखाडे गये है को A-B
 व x x x x से दर्शाया गया है।

जवाह

मपुरा

(सुशान्ताका सिंह व.रं.)
 वनवीर मगोरि
 रेंज गोवर्धन

मजरी नक्सा भौका घटना स्थल निरीक्षण दिनांक 26/11/25
 को भेरे डारा बनाया गया।

@man

(अमर-चौधरी वन दरोजा
 वन अनुभाग चौबुटा, गोवर्धनरेंज)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनामनेपाली वन अधिनियम १९७६ अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम १९७६ अन्तर्गत



वि० राम शंकरा शाह, जेठ, १९७६

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक ०२/१२/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख ०३/०२/२०२५ व समय ११:०० बजे

व मुकाम रामेश्वर शहर कोलकाता के सामने जेठ, जलपुत्रा रोड

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३-५ अन्तर्गत अर्थात् १९७६ में
कायम किया जाये। धारा ५।०

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनामनेपाली वन अधिनियम १९७६ अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम १९७६ अन्तर्गत



वि० राम शंकरा शाह, जेठ, १९७६
वि० सौजन्य, तह-जेठ, १९७६

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक ०२/१२/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख ०३/०२/२०२५ व समय ११:०० बजे

व मुकाम रामेश्वर शहर कोलकाता के सामने जेठ, जलपुत्रा रोड

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३-५ अन्तर्गत अर्थात् १९७६ में
कायम किया जाये। धारा ५।०

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



राज्य वन विभाग, जयपुर, राजस्थान
जयपुर

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 बजे
व मुकाम जयपुर जेल के सामने जयपुर
को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-4 व 1916 के तहत
कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।
अमन चौधरी
सेक्सन-3
फोरेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



राज्य वन विभाग, जयपुर, राजस्थान
जयपुर

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 बजे
व मुकाम जयपुर जेल के सामने जयपुर
को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-4 व 1916 के तहत
कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।
अमन चौधरी
सेक्सन-3
फोरेस्ट आफिसर

(49)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम र. वि. क्र. 5/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0



तहसील जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0
जिला - मधुवा

रज. डेस सं. 17/10/2024-25

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/12/2025 व समय 11:00 बजे
जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0
व मुकाम जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0 जिला सि. वि. क्र. 11/0

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 30-31 व संशोधन अधिनियम 1976 में
द्वारा 4/10

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।
@man अमन चौधरी
सेक्शन - जिला सि. वि. क्र. 11/0
फॉरेस्ट आफिसर

50

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुये हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

ल. प्र. प्र. प्र.
19/03/25
12/03/25

@man 11.03.25
जाँच अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

लगात (51)

मेरे द्वारा दुबारा यहां पडुचने पर फिर 112 को काग
 कर कर के गुमवाया गया था जब तक को लोग बहुत
 थी संख्या में पंडों को उखाड चुके थे
 112 नं द्वारा उनको रिहात्म मोर्च कार्यवाही नहीं की
 गयी तब मुझे वन विभाग को इसकी सूचना दी
 दूसरे दिन वन विभाग के सचिवारी भोगे पर पडुचे
 तो सिंग सिंगित भांगे के रिहात्म वन विभाग द्वारा
 पंडों की पुची बनाकर कर कार्यवाही की गयी है

सुख्यतः जो लोग पंडों को उखाड का रहे फिरके से जानता था
 उनको नाम सिंग सिंगित

- 1 - सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र सुखतपारी निवासी शोका
- 2 - नत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुमाव सिंह शोका
- 3 - पुष्पेन्दु पुत्र नत्रपाल उर्फ शोका
- 4 - दिगम्बर पुत्र हीसिंह उर्फ शोका
- 5 - सोसवीर उर्फ शंभू पुत्र रामचन्द्र उर्फ शोका
- 6 - लक्ष्मण पुत्र दिगम्बर उर्फ शोका

अथ 15-20 लाखों के लाख गौने पर
 मिले थे.

19/03/2025

देवेंद्र मीशरा HP की वकिल
 निवासी राम शोका लीगल
 mob - 9837049037

(57)

वयाग

①

मे इवन्ड मोजपा 2 इग जी एवन्ड विवसी 211 220 का
 एीगा पच्ची तहसील गाँवके मजदुरा का पूरा विवादाई
 प्राप् नोडिस के आधार पर में आज दिनांक 19/3/25 को
 वक विमाग मयालय गाँवके पर उपस्थित हुआ।
 में वयाग करता हूँ कि मेरी विनी एपी एपी गाँव 220 का
 है वहाँ पर मेरे द्वारा मजदुरा 15-20 वर्ष पहले जसरी एवापु
 भी गयी बहुत बडा वगीचा मेरे द्वारा वहाँ विमिन्ग उगाए के
 मजदुर / धमादार वृक्ष मागोये गये के सभी पेड मल व दामाद
 ने बहुत पच्ची उन पर विकास करते के सभी में धोसने के
 हुने के पर्यावरण वडा अच्छा बना हुआ था।

मगर गाँव कुछ मोगोरीये 211 यद अच्छा न मग रदा हो
 व सकिरो गाँवके कुछ निम्न लिखित मोगों के अपने 15-20 मखिये
 के साथ नारीय 19-11-2025 को मयालय 2CB मर्रीक
 मकर पहुंचा गये और पेडों को उखाडने मगे मे मजदुरा रहता
 हूँ गाँव मे मेरे चाचा रहते है उन्हीके उन्हे मोगे का माली
 प्रयास किया मगर वो मडने मरने को हैयार होकर इमेके
 आये के चाचा द्वारा मुझे पूचना की गयी मे वन्ही
 उस समय मजदुरा से वहाए था मेने 112-70 पर कांम
 मर पुलिस मे मजा मगर वो तब भी नही मरने मे जब म
 मीक पर पहुंचा तब तक के मोग मेरे वगीचे के वाली
 पेडों को 2CB द्वारा उखाडा मुने के और 2CB
 मुने चाली मिला मेरे वडा पहुंचने पर मेरे मना
 करने के वाचक मी के मोग गयी मने
 और मुने मरने पीरने को हैयार के

53

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रक्षक प्रांत प्रजा

य.के.के.के.

12-03-2025

@man 11.03.25

जाँच अधिकारी
वन भाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

गवहा

(54)

चन्द्रमालसिंह पुत्र श्री मंगल सिंह निवासी ग्राम गूथोवा
 हीगां पर्वी का ठिकाना हूँ मुझे एक विभाग गौवर्द्धन द्वारा
 लुमादा गधा से आज दिनांक 19/03/25 को मथालप में
 उपस्थित हुआ और दिनांक 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेड़ों से बाहर से एकान एक गधे हैं
 दिनांक 19/11/24 को अमानत गांव से कुछ लोग
 सतबीट उर्फ सतो पुत्र मुखल्यार . नंगपाल पुत्र श्याम उर्फ लुमाप
 पुष्पेण्ड उर्फ पुष्पी पुत्र नंगपाल . दिगम्बर पुत्र हीरसिंह
 एवं शोशनीट उर्फ शिशु पुत्र रामचन्द्रप सती ठिकाना श्याम
 अपने अन्य 15-20 सन्धिकों के साथ मेरे महीने देवेंद्र
 की गहरी से 200-से पेड़ों को उखाड़े रहे थे
 मैं भीने पर गया मैंने बहुत बार मना किया कि पेड़ों को
 मत उखाड़ो मना नो लोग उस से मउने मारेन को
 मनाट हो गये मेरे बहुत बार मना मरेन पर भीनकीमाने
 और गहरी से मनाट मेरे खेत से भी कितने पेड़ थे
 उन्हे जबरदस्ती 200-द्वारा बन लोगों के उखाड़े किये
 मेरे द्वारा लोग से अपने महीने देवेंद्र को भी छुचगा दी
 उसने 112-युक्ति लुमरि का सिंह मीनकी माने तब उसने
 एक विभाग को छुचगा दी तो एक विभाग मीनका आये
 और आगे भी मारवाही गयी

चन्द्रमाल
 19-03-2025

चन्द्रमाल सिंह, श्री मंगल सिंह
 गधा (मथालप में)
 फोन नं - 9410446249

(55)

सुवाभे

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मथुरा (उ० प्र०)

मैं दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह नि० ग्राम श्योवा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राचीन तथा प्राचीन के गाँव के लगभग 100 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिह्नित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को पैमाइश मौके पर करने हेतु
श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्रादिया
था। प्राचीन गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् उप जिला
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकना 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिह्नित कर उसी दिन उसी
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की भेड़ डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में भेड़ डलवायी थी। राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्द्यमान पुत्र भवरी सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्द्यमान व राम जीत पुत्र चन्द्यमान व हरवीर पुत्र चन्द्य
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदन सिंह नि० गवाश्या
वा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रात्रि में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ों को
उखाड़ दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पीढ़ी से गुमराह
कर प्राचीन गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध रंजिश बरा थाना मगोरी
में हमलों को विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की डूँही रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये पाने डाने की सूचना भिज
वायी गयी है जबकि प्राचीन वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वन
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्रार्थी

दिगम्बर सिंह आ० हरी सिंह
गाँव - श्योवा, सीगापट्टी
पारट - सौरव, जिला - मथुरा
मो० न० - 9760302816

सेवा में

श्री मान कृतीपवन अधिकारी मेटाद्रप, गोवर्धन
जिला-मथुरा उ०प्र०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मगोरी, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
वशा-कृषि, आर्षी व आर्षी के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 की पैनाइश मौके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटाद्रप गोवर्धन के पट्टी नक आर्षी पट
दिमा था / आर्षी व गाँव के अन्य व्यक्तियों के आर्षी पत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटाद्रप, गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तब
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रकवा 0.9510 हे
की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 07-11-2024
उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०-698 क को चिन्हित कर उ
दिन उसी समय जि.सी०बी० से उक्त रकब की मेंड इलवापी एवं शस्ती में
पेड खंड थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मेंड इलवापी थी राजस्व टी
के पैनाइश कर जाने के बाद गाँव के दंग व्यक्ति चन्द्रभान अ० भवर सिंह
व भरतसिंह व हरवीरसिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान, व देवेन्द्र गौड़
व जीतिन्द्र 5% बदन सिंह निवासी गण-गाँव-स्यौवा भाग सीगापट्टी, पो० स्यौवा
तहसील-गोवर्धन, थाना-मगोरी, जिला-मथुरा ने जि.सी०बी० से उक्त फी
उरवडा दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पिछले गुमराह
आर्षी व गाँव के कुछ व्यक्तियों के विसह राजेशवश थाना मगोरी में हमले
के विसह वन विभाग ने पेडा को उखाड़ने की डूँटी रिपोर्ट दर्ज करा दी है
जिससे थाना मगोरी से हमारे लिए थाने आने की सूचना मिलवायी ग
जब की आर्षी ने वन विभाग के पेड नष्टी उखाड़े है / ध्यान सुनकर तस्दीक है

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यवीर
आर्षी

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ० मुखार,
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
पो० स्यौवा थाना-मगोरी, जिला-मथुरा

(57)

सेवा में

श्रीमान ज्योतीप वन अधिकारी अहोदय, गोवर्धन

खि. अफुरा (डू. प्र.)

में जेजपाल सिंह पुत्र श्री अपात्र सिंह उर्फ गुलाब सिंह गांव स्योवा
 भाग सीताफरी तहसील गोवर्धन थाना - मगोरी खि. अफुरा उम्र करीब
 118 वर्ष पेशा - कृषि प्रथी ने तलाश की के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों
 ने सरकारी चक्रभाग को चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
 पैमाइश भोके पर कराने हेतु
 श्रीमान, उपजिलाधिकारी अहोदय गोवर्धन के पद पर प्रार्थना पत्रादिप
 का प्रथी व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
 अहोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
 राजस्व टीम सरकारी चक्रभाग सं. 698 के रकम 0.9510 हे. की भोके पर
 राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अफुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्रभाग
 की भोके पर चक्रभाग सं. 698 के चिन्ह कर उसी दिन उसी समय
 जे.सी.वी. से उक्त रास्त की मेंड डलवायी शंभू शर्मा से जो फेड रवड
 के इनको राजस्व टीम की उपस्थिति में फेड डलवायी थी राजस्व टीम
 के पैमाइश कर जाने के बाद गांव के दंबरा व्यक्ति चक्रभाग पुत्र अबर सिंह
 अरत सिंह, शमजीत, हरवीर पुत्र गण - चक्र भाग, व देवेन्द्र फौजदार पुत्र वक्र सिंह
 व जीतेंद्र पुत्र वदन सिंह निवासी गण स्योवा भाग सीताफरी थाना मगोरी ने शत्रि से
 जे.सी.वी. से उक्त पेडा के उरवाड विपथा और वन विभाग के कमिश्नरियों को
 पीढ़ से भुमराट कर प्रथी व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शिर्षक वश
 थाना मगोरी में लोगों के विरुद्ध वन विभाग के पेडा के उरवाड डलाने की
 सूची रिपोर्ट दल कर दी जिससे थाना मगोरी से हमारे लिए थाने भुने की सूचना
 भिजवायी गयी जेवकि प्रथी ने वन विभाग के पेडा जेही उरवाड हे वयान सुनकर
 तस्वीक किया

दिनांक 18.12.2024

जेजपाल सिंह 57 अपात्र सिंह उर्फ गुलाब सिंह
 निवासी स्योवा पोस्ट सोरेव

Mobile No. 933393755

(58)

सदर -

श्रीमान श्रीजीय वन अधिकारी अद्यक्ष, गोवर्धन
जि. अमुरा (उ.प्र)

में पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल गाँव - स्थोवा भाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगोरस जि. अमुरा
उम्र करीब 22 वर्ष पेशा शिक्षार्थी-प्राथी ने लघु प्राथी के गाँव के लगभग 10 व्यक्तियों
ने सरकारी चक्कागर्ज की चिन्त कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैमाइश गौके
पर कराने हेतु -

श्रीमान उपजिलाधिकारी अद्यक्ष गोवर्धन के यहाँ शक प्राथीनापत्र दिना या प्राथी
व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्राथीना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी अद्यक्ष
गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व
टीम सरकारी चक्कागर्ज सं. 698 क रकबा 0.9510 है० की गौके पर राजस्व टीम
तहसील गोवर्धन अमुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त चक्कागर्ज की गौके
पर चक्कागर्ज सं. 698 क के चिन्त कर उसी दिन उसी समय जे.सी.वी. से
उक्त रास्ते की गेट डहवापी एवं रास्ते में जो पेट रवर्ड से उनको राजस्व
टीम की उपस्थिति में गेट डहवापी की राजस्व टीम के पैमाइश कर जार्न के बाध
गाँव के दंडा उपकृत चक्रभाज पुत्र चन्द्रसिंह, भरतसिंह पुत्र चन्द्रभाज रामजीत
पुत्र चक्रभाज हरवीर, पुत्र चन्द्रभाज, व देवेन्द्र चौधर, जीतेन्द्र पुत्र गण गजन सिंह

जिवासी गण स्थोवा भाग सीगापट्टी जिला मगोरस ने शक्ति में जे. सी. वी. से
उक्त पेटों को डहवाइया दिना या और जमीनभाज के कराने की को चीरे से
गुमराट कर प्राथी व गाँव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रजिंश वश पाना
मगोरस में इस लोगों के विरुद्ध वन विभाग से पेटों के डहवाइयावे की भूठी
रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसमें पाना मगोरस से हमारे लिए पाने डाने की सूचना
मिलवायी गयी जवकि प्राथी ने वन विभाग के पेट नहीं डहवाइ है पाना सुनकर
तस्वीक किया

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र प्राथी

पुष्पेन्द्र नेत्रपाल
जिवासी स्थोवा मगोरस

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्योवा भाग

सीगापट्टी चक्रोइके डिग्रे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश

वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका

विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	प्रजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण वृक्ष
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	पीप	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	होंडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अंतर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(शशेश्याम)
वनरक्षक
जोवर्धन रेंज

(कुशलपाल)
ब.र.
जोवर्धन रेंज

बयान

महोदय, मैं कुशलपाल सिंह अनरबल वन वीट मगोरा/सडींग गोवर्धन रेंज साठ लाख वन प्रभाग मयुरा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधारे पर हजाराएनी रक्षेभाम वन रक्षी नीमगांव वन वीट गोवर्धन रेंज वन प्रभाग मयुरा के साथ घटनास्थल, रवसरा संख्या 698 क ओजा शमीवा प्मणा सीगा-पट्टी तहसील गोवर्धन पर समय लगभग 10.40 बजे सुबह पहुंचे तो पाया गया कि चकमार्ग 698 क के किनारे पर पेड़ व पौधे जड़ से उखड़े पड़े हैं और चकमार्ग पर लाजा गिट्टी दोनों किनारे से जे०सी०वी० द्वारा डलवायी गयी है जोके पर उखड़े पड़े, पेड़ पौधों की गणना व माप बढी गयी तो पाया 09 पेड़ नीम गोलार्ड क्रमशः 140, 60, 54, 67, 70, 53, 70, 73, 127 से०मी० 01 पेड़ पीपल 60 से०मी०, 02 पेड़ शहारा 60, 70 से०मी०, 06 पेड़ पापुली 70, 86, 62, 57, 62, 65 से०मी० 01 पेड़ जामुन 50 से०मी०, 01 पेड़ पापुडी 48 से०मी०, 01 पेड़ शीसम 44 से०मी० 05 पेड़ भौली क्लोरा- 35, 89, 45, 60, 67 से०मी०, 01 पेड़ अर्जुन 77 से०मी० कुल पेड़ 27 तथा 27 नीबू के झाडीनुमा पौधे व करोडा के 22 झाडीनुमा पौधे मिले जोके पर छर्द कर मढ़ी बनायी गयी और साथ पास पूढताइ कर उका अपराध करने वाले व्यक्तिगों के नाम पता लाग किसे तथा अपराध और साक्षिपुक्तों की पुष्टि कर पुरना विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21/11/2024-25 इका किया गया तथा साक्षिपुक्त 1- रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह सिंह मगोरा पोस्ट और व थाना मगोरा (2) सतवीर उर्फ सतलो पुत्र मुखताप (3) नेतपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाव सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेतपाल (5) डिगब्या पुत्र हनीसिंह त्रिवासीगाण ग्राम शमीवा प्मणा सीगापट्टी पोस्ट सोख थाना मगोरा के विरुद्ध तहरीर थाना मगोरा में ही गयी तथा अपराध (F.I.R) सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुखविर खास से सूचना मिली कि ग्राम शमीवा में चकमार्ग संख्या 698 क के दोनों तरफ बहवा साइड में खड़े पेड़ों को उपरोक्त साक्षिपुक्तों के द्वारा पुनः पेड़ों को जे०सी०वी० से उखड़ा दिया है। मैं स्वयंभी हजाराएनी रावोश्याम अनरबल के साथ घटनास्थल पर समय लगभग- 8.00 बजे सुबह पहुंचा तो पाया कि चकमार्ग के किनारे बहवा की तरफ जे०सी०वी० गरीब से उखाड़ा गया है तथा चकमार्ग पर गिट्टी डली गयी है जोके पर पड़े पेड़ों की गणना व माप बढी गयी तो पाया कि 08 पेड़ नीम गोलार्ड क्रमशः 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से०मी० 03 पेड़ पापुडी गोलार्ड- 122, 100, 140 से०मी०, 2 पेड़ भौली क्लोरा गोलार्ड 68, 80 से०मी० व 01 पेड़ होकर गोलार्ड 92 से०मी० कुल पेड़ 14 पाये गये साथ पास पूढताइ करे पर पता चला कि यह 14 पेड़ भी साक्षिपुक्त (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह (2) सतवीर उर्फ सतलो (3) नेतपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाव सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेतपाल (5) डिगब्या पुत्र हनीसिंह के द्वारा ही पुनः जे०सी०वी० से उखड़ाये है, अपराध और साक्षिपुक्तों की पुष्टि कर उका साक्षिपुक्तों विरुद्ध विभागीय वन अपराध सं० 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 तथा तहरीर थाना- मगोरा में देकर मुकदमा दर्ज किया गया उका साक्षिपुक्तों के द्वारा दो बार अलग-अलग दिनांक व समय से रकम ही घटनास्थल पर से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किसे अवैध रूप 41 पेड़ व नीबू के 27 झाडीनुमा पौधे व करोडा के 22 झाडीनुमा पौधों को चकमार्ग पर दोनों किनारे से गिट्टी जे०सी०वी० से खोदकर डालने के दौरान उखाड़ा कर उ० प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा भारतीय उत्खनन-माधालय की रिट पिटीशन 13381/1984 संख्या सी० जे० दत्ता बनाम भारत संघ में घोषित सार्डि रज संख्या 527 से पारित (T.T.Z क्षेत्र में वृक्षों के अवैध पातन से संबंधित) साक्षात् दिनांक 08/05/2015 की उपमानना करने का ब्यला संश्लिप्त अपराध किया है। उका दोनों घटनाओं में उखाड़े गये सभी 41 पेड़ों की समस्त लकड़ी रव-नीबू के 27 पौधों झाडीनुमा और करोडा के 22 झाडीनुमा पौधों की जलाइ लकड़ी वर्तमान में जारी की जा रही है। पक्षी मेरे बयान है।

बयानकर्ता

12/03/25
 (कुशलपाल सिंह अनरबल वन वीट)
 मगोरा/सडींग गोवर्धन रेंज
 वन प्रभाग मयुरा

वयान

सद्वियम,

श्री राधेश्याम बन रत्नक (वोट नोम गॉव) रेंज गौवर्धन सांवां वन उम्राग मथुरा राधेश्याम पूर्वक वयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर वादी कुरापाक सिंह वन रत्नक वन वीट मगौरा, रेंज गौवर्धन के साथ धरना स्थल खसरा सं० 698 का मौजा शौवा भाग सींगा पट्टी तहसील गौवर्धन पर समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुंचे तो पाया कि चकमार्ग खसरा सं० 698 की ताजा सफाई करायी गयी है तथा दोनों किनारों से ताजा मिट्टी डक कायी गयी है और चकमार्ग के किनारे वेड अक्डे पडे हैं। मौके पर उक्डे पेडों की माप व गणना करायी गयी तो मौके पर 09 पेड - 11 म गौवर्धन का मरा: 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 से० मी० व 127 सेमी० - 01 पेड पीपल - 60 सेमी० 02 पेड राइवड 60, 70 से० मी०, 06 पेड पापूलर 70, 86, 62, 57, 62, 65 से० मी०, 01 पेड जासुन 50 से० मी० 01 पेड पापडी 48 से० मी० 01 पेड शीशम 44 से० मी० 05 पेड ल्यूलीफ्लोरा 35 से० मी० 89 से० मी० 45 से० मी० 60 से० मी० 67 से० मी० 01 पेड अर्जुन 77 से० मी० कुल पेड 27 तथा नीबू के 27 झाड़ी-नुमा पौधे और करौदा के 22 झाड़ी-नुमा पौधे उक्डे हुए पाये गये मौके पर कई वरामदगी बनायी गयी और आस-पास बूढ़ गड़ की गयी छड़गड़ में अग्निमुक्तों का नाम पता हाट लिया गया तो पता चला कि उक्त 27 पेड व उक्त झाड़ी-नुमा पौधे अग्निमुक्तों के रैज पुत्र डैम सिंह नि० मराट पौस्ट खोख भाग मगौरा जिला मथुरा ① सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यधारा पुत्र भुखट्या ② नेरपाक पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह ③ पुष्पेन्द्र पुत्र नेरपाक ④ दिगम्बर पुत्र हरीसिंह निवासी गंग ग्राम शौवा भाग सींगा पट्टी पौस्ट खोख भाग मगौरा जिला मथुरा के द्वारा चकमार्ग की सफाई व पेडों की गणना करी है चकमार्ग पर मिट्टी डकवाने के दौरान खडे होकर उखडवाया है अपराध और अग्निमुक्तों पुष्टि होने पर तुरन्त विभागीय वन अपराध संख्या 15/गौवर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है तथा तहसील थाना मगौरा में देवर खफ. आर्. आर. सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/11/2024 को मुखविर सार से सूचना मिलने पर पता चला उक्त सभी अग्निमुक्तों के द्वारा उक्त चकमार्ग के किनारे से वन्यता की तरफ पुनः कुछ पेड लै. सी. वी. से उखडवा दिये है तो में कुरापाक सिंह वन रत्नक के साथ पुनः उक्त धरना स्थल पर पहुंचे तो पाया कि 08 पेड - 11 म गौवर्धन का मरा: 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से० मी० 03 पेड पापडी गौ० 122, 100, 140 से० मी० 02 पेड ल्यूलीफ्लोरा गौ० 68, 80 से० मी० तथा 01 पेड होकर गौवर्धन - 92 से० मी० कुल पेड - 14 पेडों की कई वरामदगी बनायी गयी तथा अपराध और अग्निमुक्तों की पुष्टि कर विभागीय वन अपराध सं० - 17/गौवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 दर्ज कर तहसील थाना मगौरा में खफ. आर्. आर. दर्ज कराते हेतु दी गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तों ① रविन्द्र पुत्र डैम सिंह ② सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यधारा पुत्र भुखट्या ③ नेरपाक पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह ④ पुष्पेन्द्र पुत्र नेरपाक ⑤ दिगम्बर पुत्र हरीसिंह निवासी गंग ग्राम शौवा भाग सींगा पट्टी पौस्ट खोख भाग मगौरा जिला मथुरा के द्वारा धरना स्थल चकमार्ग खसरा सं० 698 का मौजा शौवा भाग सींगा पट्टी के दोनों किनारों पर खडे पेडों की चकमार्ग पर मिट्टी खोदकर डकवाने के दौरान कुल 41 पेड तथा नीबू के 27 व करौदा के 22 झाड़ी-नुमा पौधों की का मरा: उलग - अलग समय और दिनांक का विना धर्कनुमीले प्राप्त किये अवैध रूप से उखडवाकर उ० 50 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा मा० उच्चतम न्यायालय की रिट विदेशन सं० 13381/1984 उम. सी. मेहता बनामा भारत संघ में दायर आर्. उ. सं० 527 में वरों के अवैध धातन (डी. टी. पेड अर्न्टगत) से संवर्धित पारिट आदेश दि० - 08/05/2015 की अव मानना का अपराध किया है। यही मेरे वयान है।

दिनांक - 12/03/2025

वयानकर्ता
 (राधेश्याम वन रत्नक वीट नोम
 रेंज गौवर्धन वन उम्राग मथुरा)

1/4/2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 4407 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना: मथुरा
मथुरा। 3

विषय :- वन अपराध 15/ग्रीवर्टिन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 की शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 15/ग्रीवर्टिन/24-25 व 72/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1-शिकायत पत्र -1

2-मूल-एच-2 चैस संख्या 15/ग्रीवर्टिन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 सम्बन्धित संलग्नको सहित

3-न्यायालय से अनुमस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र -1

4-उकालतनाम -1

5-नजरबंदीनामा -1

6-मुक्तिमान को दिये गये नोटिस की प्रतियाँ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Pr
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा। K

पत्रांक 4407 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, ग्रीवर्टिन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपसजिक को सूचित करें।

Pr
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा। K

शिकायत पत्र

सेवा में,

म्यागलर, न्यायिक वण्वाधिकारो, मधुरा

15/गोवर्धन/2024-25

अभियोग सं०

72/अग्रज/2024-25

(१) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पता श्री सुबालपाल वनरसक

(२) अभियुक्तों का नाम व पता

(१) नाम श्री. प्रेमसिंह निवासी आदर मधुरा

(२) नाम सतवीर डके सती पुत्र मुखत्यर

(३) नाम नेहावल पुत्र आमरिंह

(४) नाम पुष्पेन्द्र पुत्र नेहावल

(५) नाम दिगम्बर पुत्र हरीसिंह

निवास ग्राम श्रीवा अग्रज सीमापट्टी तालुका सीख

घाता अग्रज जिला मधुरा

(३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-

(१) तिथि 11/11/2024

(२) समय 10:40 AM

(३) स्थान :- (क) राज्य श्रीवा अग्रज सीमापट्टी, तहसील गोवर्धन मधुरा

(ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम

(४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-

(१) किस प्रकार की शक्ति की गई :-

नाजायज चरान/कटाता जोत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ने या तोड़ना आदि

(२) वन शक्ति का विवरण :-

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या

(ख) नाजायज कटाता में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (से. मी. में)

(क) नाजायज जोत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)

(ब) उ० प्र० पर्वतीय एवं शामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन / राजस्व की
 थोरो का विवरण :- उ० विसीमि जीहाडे 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127
व। पेट पपल 60 व। पेट शोशम 44 व 2 पेट सहतुल जो- 60, 70 व 6 व
पापुल जो- 70, 86, 62, 57, 62, 65 व। पेट पपुन जो- 50 व। पेट पापडी जो- 48 व
5 पेट जो- 35, 89, 45, 60, 67 व। पेट अखुन जो- 77 सिमी, मूल 21 पेट तथा 21 पेट
सी 22 पेट करिये की बिना अनुमति

(क) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् १९७५ की धारा ७७ का उल्लंघन/राजस्व के उल्लंघन।
 की थोरी :-

(३) वन सति का अनुमानित मूल्य 4.47 लाख रुपया आयतन

- (२) साक्षियों का नाम व पता :- 4260 व मूल्य
- (१) नाम श्री अशोक राम कनकधने रैय
 - (२) नाम पुत्र
 - (३) नाम पुत्र
 - (४) नाम पुत्र

निवास ग्राम दाकबाना
 ग्राम जिला

(६) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत अपराध दण्डनीय है :-
 (१) दण्ड की धारा २६ एवं ३३

(२) उ० प्र० शामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा ४/१०
एवं प्राथमिक प्रायोजन आय 112 कोष में अधिगये करिये
का उल्लंघन

(३) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् १९७५ की धारा ५१क व ७७

(४) नाजायज जोत से वेदखल करने के आवेग की धारा ११-ए

(७) अभिवाचना
 अतः पावना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को क्रमांक ६ के (2) अन्तर्गत
 उचित दण्ड दिया जाय। एवं नाजायज जोत से वेदखल किया जाय।

प्रमाणित
 राजिवनाधिकारी
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सोवर्धन रैय

निष्ठावतकर्ता
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मथुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मथुरा 4

(65)

न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

न्यायालय श्रीमान डा. ए. सुब्रह्मण्यम - प्राथमिक मजिस्ट्रेट प्रथम मधुरा ।
 पता मधुरा ड. प्र. वृद्ध संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4(10) एवं
 भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 41-ए०, 43, 33 आदि प्रा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/7/2008 में दिये गये आदेशों-
 इन्वेष्टन ।
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मधुरा

श्रीमान्

निवेदन है कि प्राथी अभियोगी जन-सेवक होने के नाते जनपद के राजकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केंद्र में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थिति होने में प्राथी असमर्थ रहेगा। इसलिये प्राथी को ओर से श्री. इन्वेष्टन - एडवोकेट, पेनल नायर (न्यायिक अभिभावक) वन विद उपराजिक पंरबी करके अवगत है कि इस अभियोग की सुनवाई के दौरान प्राथी को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की कृपा की जावे।

प्राथी

१२
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुरा

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुरा

66

बकासतनामा

बकासत श्रीमान अणु मुख्य आर्थिक मैजिस्ट्रेट प्रथम, मधुय।

मं० मुकदमा
15/गीबदत/2024-25
72/प्रभाग/2024-25

सं० १६
श्री अणु प्री
मधुय
नाम
श्री अणु प्री
व अन्य
सुपुसह
रिपपारिद

मं कि श्री अणु प्री मधुय

जो कि हमको करना इस मुकदमे में आवश्यक है इसलिए अपनी ओर से श्री शशीस चन्द का प्रतीक देना है

बकासत कातूनी महनताने पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस इस मुकदमा में हमारी ओर से सबूत दाखिल करे और प्रस्तोता करे और प्रापना प्रम प्रत्येक प्रकार का और अन्य कार्य इस मुकदमा के सम्बन्ध में समस्त पंचायत दाखिल व तस्दीक करे या वाजबाबा या सुलहनामा या दस्तखरदोरी दाखिल करे और रुपया या पतानी हमारा वाजतानर नकद व बापसी स्टास्य फोटे फीस व तसवाया वगैरह वसूल करके रसीद दें या अपनी जामिन से किसी को पंच मुकदमे करे और कुल काम मुकदमे का एकजित या अलग-अलग मुकदमे के अन्त सक करे या आवश्यकता पर किसी को इस मुकदमे की पैरवी के वास्ते वकील नियत करे या जर्जोन दायर करे सवाह अर्पण से भेरी सरफ से जवाब देही करे सब वकील का कार्य हमने अपने किये हुए की तरह स्वीकार है और हीगा वीज नुकताय साहीबान को इन्तियार होगा कि अगर महनताना तयापता हस्व बायदह उनको वसूल न हो तो वह पैरवी व बहस वगैरह न करे इसलिए यह बकासतनामा लिख दिया कि समद हीके और वाजश्यकता के समय काम आवे फतत तहरीर।

तारीख..... सं० १६ ई०

ययाह..... तारीख

ययाह..... तारीख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुय

नाम परीकल हस्वादि

सं० मुकदमा हस्वादि

नाम असासत हस्वादि

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ला तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड़ व कुछ झाड़ीनुमा पौधे जड़ से उखड़े हुये पड़े हैं। मौके पर उखड़े पड़े पेड़ों व झाड़ियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड़ पीपल 1 पेड़ सहतूत 2 पेड़ पापूलर 6 पेड़, जामुन 1 पेड़, शीशम 1 पेड़ पापड़ी 1 पेड़, अर्जुन 1 पेड़ व प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के 5 पेड़ तथा नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे उखड़े पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिट्टी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड़ व नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड़ सहित उखाड़े गये हैं। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेड़ों को व झाड़ीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1 सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिट्टी डलवाने के दौरान उखड़वाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हए और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह , रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ला पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोर्ला व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की पुष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण में बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या: 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड़, 3 पेड़ पापड़ी, 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा व 1 पेड़ छौंकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड़ से उखड़वा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा

थाना मगोर्ला में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाड़े गये पेड़ों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे०सी०बी० से उखडवाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाड़े जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड़ नीम, 3 पेड़ पापडी 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (काबली बबूल) व 1 पेड़ छौंकर कुल 14 पेड़ को दोबारा जे०सी०बी० लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ला व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोर्ला के द्वारा ही उखडवाया गया है। उक्त उखडवाये गये पेड़ों की सिनाख्त करने सौंख कोटी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाड़े गये पेड़ों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेड़ों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिट्टी डालते समय कुछ पेड़ जे०सी०बी० मशीन से उखड गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड़ बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाडकर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे०सी०बी० मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड़ व पौधों को उखडवा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये। तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ला स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खडे पेड़ 27 व 14 कुल 41 पेड़ तथा नींबू के 27 झाडीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाडीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ला मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोर्ला मथुरा के द्वारा जे०सी०बी० से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाड़ीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोरा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अभिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाड़ीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोरा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 25.11.2024 मय फर्द बरामदगी , सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज।
पत्रांक प्रभागीय 135-1 दिनांक 10/12/2025

सेवा में
विभागीय प्रिन्सिपल
वन वन प्रवर्धन
मथुरा।

महोदय

उपरोक्त H2 केस संख्या 15/गोवर्धन/24-25 की जाँच श्री अमन चौधरी वन हयोग से सहाय्य गयी उनकी जाँच से सहमत हूँ अतः केस की मा. न्यायालय में अर्पण की संस्तुति सहित उपर्युक्त महोदय की सेवा में प्रेषित है।

अमन चौधरी

@man 14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा

जाँच अधिकारी

मा. न्यायालय से अर्पण की संस्तुति की जा रही है।

मथुरा

राजिवाद सं० 15/जि०/2024-25

प्रभागीय वाद सं० 72/प्रभागी/2024-25

1299

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ...मथुरा...

उ.प्र. वृक्ष संरक्षण अधि. 1976 की अन्य अपराध... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०... दिनांक 21/11/2024... अधिक्षेत्र राजि. गोवर्धन...

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

- 1. रविन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम भदर, पो. सौंख तहसील - गोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मथुरा
- 2. सतवीर उर्फ सली 310 भुखतयार
- 3. नेत्रपाल 310 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
- 4. पुष्पेन्द्र 310 नेत्रपाल
- 5. दिगम्बर 310 हरी

2. साक्षी का नाम

(राधेश्याम) वनरक्षक

निवासीगण - ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पो. सौंख तहसील - गोवर्धन, थाना - मर्गीरा जिला - मथुरा

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

G.P.S. N - 27° 40' 50.6" E - 77° 51' 86.53"

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चक्रोड के डिगरे 9 पेड़, नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू, 22 पौधे करोंदा (0-1) व्यास वर्ग की बिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

गवाह

(राधेश्याम) व.र.

महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आप दिनांक 21/11/2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पर लगभग 10:40 AM बजे पहुँचे तो देखा कि चक्रोड के डिगरे पर 9 पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नपत डी गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 44, 2 पेड़ सहदूत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापूलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू (0-1) व्यास वर्ग, 22 पेड़ करोंदा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़ - पौधे उखाड़े मिले, बटिकरामपट्टी मोठे पर बनानी गयी। जो संलग्न है करामद लडडी की चन्द्रान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट- सौंख तहसील - गोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मथुरा की सुपुर्देगी में दी गयी। सुपुर्देगीनामा संलग्न है तथा आस-पास रहने पर जात हुआ कि उक्त पेड़ों की कौलम न. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखाड़ वार्ये गये हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा उ.प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम द्वारा 77 2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/05/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

मेवा में, प्रभागीय निदेशक सा. वा. वन प्रभाग मथुरा महोदय, उम्तकेस की प्रथम प्रति ब्यौरे अधिकांशी नामित करने हेतु सादर प्रेषित है।


श्रेणीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

15/जि०/24-25/1976 की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 77 2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/05/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(इशानपाल) व.र.

नजरी नक्सा घटना नं० 1 दिनांक 21/11/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध सं० 15/जेवधन/2024-25
 सह दर्ज F.I.R. सं० 0341/2024 दि० 22/11/2024

घटना स्थल खसरा संख्या 698 क चक्रभागी भौजा/ग्राम-शौबा भाग सीगापर्ये
 तहसील जेवधन जिला मधुपुरा, 27 पेड व नीचे के 27 व करोंदरा के
 22 झाड़नुमा पौधों का भवैध करान।



संकेत-घटना स्थल चक्रभागी 698 क जहाँ 27 पेड व 27 नीचे व 22 करोंदरा
 के झाड़नुमा पौधे उखाड़े गये हैं को A-B व XXXX से
 दर्शाया गया है।

गवाह

(अशोक पाल सिंह व.रं.)
 वन बीट अगोरी
 रंज गोवधन

नजरी नक्सा भौजा घटना स्थल निरीक्षण दिनांक
 30/11/2024 को मेरे द्वारा बनाया गया।

@man

(अजय-पौधरी वन दरोगा)
 वन अनुभाग चौकुंदा
 जेवधन

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम
 डी० एफ० ओ० बनाम
 जिला - मधुप



आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
 दिनांक 21/11/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM को
 व मुकाम
 को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
 मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा
 कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
 तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

फॉरेस्ट ऑफिसर
 चौकहा

PU71709889 IN ITR:828571709889
 RL GOVERNMENT SO (281502)
 Counter No:1.10/12/2024.13:17
 To:RAJIVORA ..
 33, Sankh SO

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम दिनांक 5/10 इ.सी.



पिठे ग्राम श्योला भाग सीगापरी
पोस्ट सौख, तह. गोवर्धन
बाना मंगोटा पिना मधुल

दस्तावेज संख्या 15/जेए/2024-25

जो बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक 21/11/2024

आयाद हुआ है।

1: आप व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM बजे
इमामत प्रयोग वन अधिभार गोवर्धन रेल, पतीडा रोड
मुकाम रावडी इतर इलाका के सामने गोवर्धन मधुल
हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकदमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 197C की धारा 4/10
में
शम किया जाये।

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
नीम है और बाद कार्यवाही मुकदमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट ऑफिसर
मुकदमा नंबर
शुभ

8171703073UN NR:6285711703073

RL GOVERNAN SO C281502

Counter No:1.10/12/2024.13:17

To:DIGMADR..

PIN:281123, Sonkh SO

From:KARYALAY CH.GNR

Wt:10aus.REB=17.0

Amt:25.76.Tax:3.76.Amt.Paid:26.00(Cash)

<Track on www.indiafast.gov.in>

<Near Naks, Stay Safe>

<Dial 18002668848>

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ... पुष्पेन्द्र ... ११० ... नेपाल



पिन काम शमोला भाग सीतापट्टी
चौक साँख, तह - जोवरिन
थाना भर्ना रा जिला मधुवा

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक २१/११/२०२४

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख १८/१२/२०२४ व समय ११:०० Am बजे
आधीनम इगीम वन अधिनियम १९७६ जोवरिन तह, पत्तीपुप रोड
व मुकाम राजेश्वर शेर कालिन्डे सामने जोवरिन, मधुवा

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३७ अथवा ३८ अथवा ३९ १९७६ में

कायम किया जाये।

धारा ४/१०

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फोरेस्ट ऑफिसर
चौमहाँ

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम सतवीर उर्फ सली 5/0 मूलतः मार



नि० गजम शमोखा, भाग लीगापरी
पौठ सौख तह. गोवर्धन
माना मर्गाता, मधु.

रेखा क्रमांक सं० 15/गौ०/2024-25

बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक 28/11/2024

गद हुआ है।

प व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM वजे
आमालम क्षेत्रीय वन अधिकारी गोकर्धन रेखा, जतीपुरा रोड,
शायरी क इरर क लेख के लोभने गोवर्धन, मधु।

अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 35 अ/10 1976 में
या जाये।

वक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

गौर बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man

फॉरेस्ट ऑफिसर
अन्तर्गत अधिकारी

चौमूहाँ

R0711708358IN INR:828571170858

PL GUNERMAN SO <281502>

Counter No:1.10/12/2024.13:17

To:SAITYEER

PIN:281123, Sonbh SO

From:KARYALAY DL:6NR

Wt:100ms, REF:17.0

Net:25.9%, Tax:3.9%, Amt.Paid:26.00(Cash)

Track on www.indiapost.gov.in

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...नेपाल... १/०...श्याम...सिंह... डीपी...अला...सिंह



नि० जम शमेका, भाग सीकापट्टी
पोस्ट सौख्य, लहरील - गौवर्दीन -
थाना भर्गोरा जिला मधुवा

रेजि० नं० १५/गौ०/२०२४-२५

जे बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक २१/११/२०२४

भायाद हुआ है।

आप व तारीख १८/१२/२०२४ व समय ११:०० AM वजे
कार्यालय नैनीताल वन अधिकारी गौवर्दीन, धर्मपुर रोड,
काम शहरी इन्टर अलिज डे लागने गौवर्दीन

गिजर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३० ए व ३० ब्रस संरक्षण अधिनियम १९७६
में
की धारा ४/१०
म किया जाये।

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
मेम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फोरेस्ट आफिसर

9071179528831N IWR:8285711795288
AL GOMERUNAN SO <281502>
Counter No:1.10/12/2024.13:17
To:METRAPH...
PIN:281123. Sankh SO
From:KARYALAY CH.GNR
Wt:100ms,REC=17.0
Amt:25.96,Int:3.96,Amt.Paid:26.90(Cash)
Track on www.indiatekos.com.in
Dial 18002668888 <Wear Masks, Stay Safe>




Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP08539596804401W

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP08539596804401W
 18-Dec-2024 03:00 PM
 NEWIMPACC (SV)/ up14570504/ MATHURA SADAR/ U
 SUBIN-UPUP1457050414057051217865W
 DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 Article 4 Affidavit
 NA
 DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 DFO MATHURA
 DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 10
 (Ten only)



STAMP
 समक्ष-श्रीमति प्रभागीय वन अधिकारी महोदय, मथुरा

वर्ष विभाग मथुरा (30प्र0)

शपथपत्र मिनजानिव-दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह आदि निवासीगण ग्राम
 खीबा भाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा उख
 करीब 35 वर्ष, पेशा-कृषि आदि।

शपथकर्तागण धर्म से शपथपूर्वक निम्न व्यान करते हैं कि-

यह कि शपथकर्तागण उपरोक्त पते के स्थाई निवासी हैं तथा
 शपथकर्तागण के नाम व पते पर अन्य कोई व्यक्ति निवास नहीं
 करता है एवं शपथकर्तागण उक्त घटना के तथ्यों से भली भाँति
 परिचित हैं।

दिगम्बर सिंह

78

//2//

- 2- यह कि शपथकर्तागण के ग्राम के व्यक्ति दिगम्बर सिंह आदि ने ग्राम श्यौबा के चकमार्ग यानि सरकारी रास्ता के खसरा सं०-698क, रकवा-0.9510 हैक्टे० की मौके पर पैमाइश यानि चिन्हित कराने और मौके पर निकलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07/11/2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, गोवर्धन के यहाँ दिया था, उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन ने आदेश दिनांक 07/11/2024 को राजस्व टीम तहसील गोवर्धन की गठित कर मौके पर नापकर निशानदेही को आदेश किया था । आदेश दिनांक 07/11/2024 के अनुपालन हेतु दिनांक 09/11/2024को तहसील गोवर्धन की टीम मौके पर गयी और नापकर चकरोड को चिन्हित करके वापिस आ गयी ।



यह कि दिनांक 09/11/2024 को ग्राम श्यौबा के दबंग व्यक्ति चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह व रामजीत व हरवीर व भरतसिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदनसिंह व जीतेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण श्यौबा भाग सींगापट्टी ने उक्त रास्ते में खड़े

पेड़ों को रात्रि में जे०सी०बी० से उखड़वा दिया है तथा रंजिशवश वन विभाग के दफतर में आकर शपथकर्तागण के ग्राम के सीधे साधे व्यक्तियों के नाम बताकर वन विभाग के कर्मचारियों को गुमराह कर ग्राम के रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० भदार व सत्यवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुख्त्यार सिंह व नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह व पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सींगापट्टी के विरुद्ध रंजिशवश थाना मगोर्रा में रिपोर्ट झूठी दर्ज करा दी है जो कि असत्य है ।

- 4- यह कि उक्त रास्ते में से वन विभाग के पेड़ों को चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह व भरतसिंह व रामजीत व हरवीर पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार व जीतेन्द्र सिंह पुत्रगण बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सींगापट्टी ने रात्रि में जे०सी०बी० से उखाड़ दिया है तथा ग्राम के सीधे साधे व्यक्तियों के रंजिशवश नाम बताकर थाना मगोर्रा में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है जो कि झूठे नामों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

दिगम्बर सिंह

79

//3//

5- यह कि शपथपत्र की मद सं० 1 लगायत अन्तिम का ज्ञान मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर मेरी मदद करे ।


विद्याम्वर सिंह

ह० शपथकर्तागण

ग्रामवासी ग्राम श्यौबा

भाग सीगापट्टी

तह० गोवर्धन जिला मथुरा।



दिनांक-18/12/2024

The Contents of the Affidavit Documents
Read over and explained to all
who are present by Shri. *Advocate*
& called upon to sign the Day on *18/12/2024*
at *Shyamba* and down in the presence
of *31* persons.

- 1) विजय शर्मा
- 2) रामगोपाल
- 3) बलवीर सिंह
- 4) दामिनी सिंह
- 5) नरेश सिंह
- 6) चन्दुकांत
- 7) सली उर्फ सत्यप्रसाद
- 8) अमरकांत सिंह
- 9) प्रदीप सिंह
- 10) जीतनन्द सिंह
- 11) शोचनवीर
- 12) मनोसिंह
- 13) प्रदीप सिंह
- 14) Monukumar
- 15) वेदप्रसाद
- 16) नारायण सिंह
- 17) शोचनवीर

- ADVOCATE
MATHURA
- 18) *Advocate*
 - 19) *Advocate*
 - 20) नारायण सिंह
 - 21) अरवि
 - 22) हनुमन्त कुमार
 - 23) *Advocate*
 - 24) *Advocate*
 - 25) *Advocate*
 - 26) *Advocate*
 - 27) *Advocate*
 - 28) *Advocate*
 - 29) *Advocate*
 - 30) *Advocate*
 - 31) *Advocate*
 - 32) Singh
 - 33) शोचनवीर सिंह
 - 34) भगवत सिंह
 - 35) नरेश कुमार
 - 36) रामजीपाल

सवाभिं

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मपुरा (उ० प्र०)

में दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह नि० ग्राम श्योबा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मपुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राप्ति नै तथा प्राप्ति के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिन्हित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को पैमाइश मौके पर करने हेतु
श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया
था। प्राप्ति व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् उपजिलाधि-
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकबा 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मपुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिन्हित कर उसी दिन उसी
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की भेड़ डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में भेड़ डलवायी थी। राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्द्यमान पुत्र भवर सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्द्यमान व राम जीत पुत्र चन्द्यमान व हरवीर पुत्र चन्द्य-
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदर सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदर सिंह नि० गणेश्यो-
बा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रात्रि में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ को
उखाड़ बाध दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पीढ़ से गुमराह
कर प्राप्ति व गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश बश थाना मगोरी
में हमलोगों के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की झूठी रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये पाने जाने की सूचना भिज
वायी मर्यादा है जबकि प्राप्ति ने वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वन
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्राप्ति

दिगम्बर सिंह श्री हरी सिंह
गाँव - श्योबा, सीगापट्टी
पारट - सीख, जिला - मपुरा
मो० न० - 9760302816

(81)

सेवा में

श्री मान कौलीप बन अधिकारी मेटादप, गोवर्धन
जिला-मथुरा ५०५०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मिगरी, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
पेशा-कृषि, आर्षी निरूपा आर्षी के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 की पैमाइश मौके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटादप गोवर्धन के पट्टी एक आर्षी पत्र
दिखा था। आर्षी व गाँव के अन्य व्यक्तियों के आर्षी पत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटादप, गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रकवा 0.3510 हे०
की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 07-11-2024 को
उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०-698 क को चिन्हित कर उसी
दिन उसी समय जि.सी०.वी० से उक्त स्थित की मंड इलवापी एवं रास्ते में जो
पेड़ खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मंडे इलवापी थी राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दंगल व्यक्ति चन्द्रभानु अ० भकर सिंह
व भरत सिंह व हरवीर सिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभानु व देविन्द्र गौजयर
व जीतिन्द्र 5% बदन सिंह निवासी गण-गाँव-स्यौवा भाग सीगापट्टी, पी० सी०
तहसील-गोवर्धन, थाना-मिगरी, जिला-मथुरा ने जि.सी०.वी० से उक्त पेड़ों के
उखाड़वा दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पिछले गुमराह कर
आर्षी व गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश केश थाना मिगरी में हमलागो
के विरुद्ध वन विभाग ने पेड़ों को उखाड़ने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
जिससे थाना मिगरी से हमारे लिए धाने आने की सूचना मिलवायी गयी है।
जब की आर्षी ने वन विभाग के पेड़ नष्टी उखाड़े हैं। ध्यान सुनकर तर्दीक किया

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश
आर्षी

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ० मुखार
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
पी० सी० थाना-मिगरी, जिला-मथुरा

(82)

सेवा में

श्रीमान ज्योतीप वन उपाधिकारी महोदय, गोवर्धन
जि. अमरा (उ.प्र.)

मैंने जे.प.ल.सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह गांव स्याम
भाग सीतापुरी तहसील गोवर्धन थाना अगोरी जि. अमरा उम्र करीब
48 वर्ष पेशा- कृषि प्रयोग में तथा प्रयोग के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों
ने सरकारी चक्रभाग को चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
पैमापत्र भोके पर कराने हेतु
श्रीमान, उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहां एक प्रार्थना पत्रादिना
का प्रार्थना व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
राजस्व टीम सरकारी चक्रभाग सं. 698 क रकबा 0.9510 हे. की भोके पर
राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अमरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्रभाग
की भोके पर चक्रभाग सं. 698 क को चिन्ह कर उसी दिन उही समय
जे.सी.वी. से उक्त राहत की मेंड इलवायी राब राहत में जो चेड राबड
वै उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मेंड इलवायी थी राजस्व टीम
के पैमापत्र कर जाने के बाद गांव के दंबरा व्यक्ति चक्रभाग पुत्र मबर सिंह
भरत सिंह, शमजील, हरवीर पुत्र राम चक्रभान, व देवेन्द्र फौजदार पुत्र वदन सिंह
व जीतेंद्र पुत्र वदन सिंह निवासी राधा स्याम भाग सीतापुरी थाना अगोरी से रात्रि में
जे.सी.वी. से उक्त पेडा के इस्तेमाल विषय और वन विभाग के कर्मचारियों को
पीई से गुमराह कर प्रार्थना व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्व वश
थाना अगोरी में लोगों के विरुद्ध वन विभाग से पेडा के उख डवाने की
भूखी रिपोर्ट दर्ज करा दी जिससे थाना अगोरी से हमारे लिए थाने आने की सूचना
प्राप्तवापी रापी जबकि प्रार्थना व वन विभाग के पेडा उही उख डवाने थाने सुनकर
तस्वीक किया

पार्थ

दिनांक 18.12.2024

जे.प.ल.सिंह उर्फ श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

निवासी स्याम.पोस्ट सरेव

Mch. No. 8393937580

83

में-
श्रीमान

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, गोवर्धन

जि.अमरा (उ.प्र)

में पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल गांव - सपौवा भाग सींगापट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगहरा जि.अमरा

उम्र करीब 22 वर्ष पेशा शिक्षार्थी-प्राची ने लघु प्राची के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों ने सरकारी चकमाग की निवृत्त कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैमाइश मौके पर कराने हेतु-

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था प्राची व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमाग सं. 698 क रकबा 0.3510 है. की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अमरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त चकमाग की मौके पर चकमाग सं. 698 क के निवृत्त कर उसी दिन उसी समय जं.सी.जी. से उक्त रास्ते की भेड डहवापी एवं रास्ते में जो पेड खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में भेड डहवापी की राजस्व टीम के पैमाइश कर जान के बाद गांव के दबंग व्यक्ति चन्द्रमान पुत्र चंवरसिंह, भरतसिंह पुत्र चन्दमान रामजीत पुत्र चन्द्रमान हरवीर, पुत्र चन्द्रभाब, व देवेन्द्र फौजदार, जीतेन्द्र पुत्र गण गण सिंह

बिकासी गण सपौवा भाग सींगापट्टी जिला मगहरा ने रात्रि में जं.सी.जी. से उक्त पेडा को उखड़वा दिया था और जनविभाग के कर्मचारियों को पीह से गुमराह कर प्राची व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति बश पाना मगहरा में हथ लागे के विरुद्ध वन विभाग से पेडों के उखड़वाने की भूरी रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसमें पाना मगहरा से हथारे किए पाने उखड़े की सूचना मिल जाये तभी जबकि प्राची ने वन विभाग के पेड नहीं उखड़े हैं पान सुनकर तस्दीक किया

पुष्पेन्द्र प्राची

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल

जिला सपौवा मगहरा

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM पर घटना स्थल 2. मोवा. जमाता सींगोपूर
 पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष
 संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
 विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलार्ध	सेमी	आधे इंच	अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
1-	नीम	140	सेमी	संपूर्ण पेड़	
2-	"	60	"	"	
3-	"	54	"	"	
4-	पीपल	60	"	"	0 से। पासवर्गचे
5-	शाद्वर	60	"	"	नीवू-27-पेड़
6-	पापूलर	70	"	"	करोदा-22-पेड़
7-	"	86	"	"	
8-	"	62	"	"	
9-	"	57	"	"	जालोनी लकडी
10-	"	65	"	"	वजन लगभग
11-	जाखन	50	"	"	90 kg
12-	नीम	70	"	"	
13-	"	67	"	"	
14-	शाद्वर	70	"	"	
15-	पापडी	48	"	"	
16-	पापूलर	62	"	"	
17-	2 रिशम	44	"	"	
18-	नीम	53	"	"	
19-	जालोनी लोरा	35	"	"	
20-	नीम	70	"	"	
21-	"	73	"	"	
22-	जाखन	77	"	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जालोनी लोरा	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता		बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	"	45	"	
25-	"	"	60	"	
26-	"	"	67	"	
27-	नीम	"	127	"	

राम
 नाम
 2024

11/11
 कुशल पाल
 वन रक्षक

85

सुपुर्दगीनामा

मै. चंद्र भाव पुत्र श्री अंबर सिंह निवासी ग्राम १ प्रोवा भाग पोस्ट मोरवा
तहसील मोरवा थाना मोरवा जिला मधुपुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
को समय लगभग 11:15 प्रायजे घटना स्थल गांव १ प्रोवा भाग (सीवापल्ली) से
निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा0 न्यायालय या वन विभाग
उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमी0	अज्ञिपुष्प	
1-	सीम	140-सेमी0	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60 - "	"	0 से 1 पास करके
3-	"	54 - "	"	नीव-27-पेड़
4-	पीपल	60 - "	"	करोवा-22-पेड़
5-	शहदत	60 - "	"	
6-	पापुला	70 - "	"	
7-	"	86 - "	"	जलोनी लकड़ी
8-	"	62 - "	"	
9-	"	57 - "	"	कसन लगभग
10-	"	65 - "	"	90 kg
11-	जामुन	50 - "	"	
12-	सीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शहदत	70 - "	"	
15-	पापुला	48 - "	"	
16-	पापुला	62 - "	"	
17-	शहदत	44 - "	"	
18-	सीम	53 - "	"	
19-	जलोनी लोरा	35 - "	"	
20-	सीम	70 - "	"	

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

21-	सीम	73 - "	"	
22-	अर्जुन	77 - "	"	
23-	जलोनी लोरा	69 - "	"	
24-	" "	45 - "	"	
25-	" "	60 - "	"	
26-	" "	67 - "	"	
27-	सीम	127 - "	"	

चंद्र भाव - मोरवा

9410446249

कुशव पाव
व.र.

86

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

19/03/25
12/03/25

@man 11-03-25
जाँच अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

वयान

①

मे- इवेंट मीजपार डूग जी एवनिट विवासी गान श्याका
लीगापची तहसील गावचन मजुरा का पूरु विवासी
पार नोदिस के आधार पर में आज दिनांक 19/3/25 को
वक विमाग मथालय गावचन पर उपस्थित हुआ.

मे वयान करता हूँ कि मेरी किली एपीयुमि गाँव श्याका में
है वहाँ पर मेरे द्वारा लगभग 15-20 वर्ष पहले बसरी ल्या
नी गरी बहुत बडा बगीचा मेरे द्वारा वहाँ निमित्त पत्रा के
मामदार / धामदार वृक्ष मागणे गये थे मरी पेड मल व धामदार
के बहुत पक्षी पुन पर विवास करे के लयी मे धोलने वने
हुने के पर्यावरण बहुत अच्छा बना हुआ था.

मगर गाँव कुछ मोगोरीये शासद अच्छा न मग रहा हो
व सभिये गाँवके कुछ निम्न निमित्त मोगों के अपने 15-20 सभिये
के साथ नारीय 19-11-2025 को मथानग 103 मथीन
मगर पड्या गये और पेडों को उखाडने मगे मे मजुरा रहता
हूँ गाँव मे मेरे चाचा रहे है उन्हीके उन्हे मोगे का माली
पुयास मिथा मगर को मडने मरने को मियाट होकर इमडे
आये के चाचा द्वारा मुझे पुयना की गरी मे बन्ही
उस समय मजुरा से वहाट था मेने 112-70 पर काँन
नर पुसि मे मजा मगर को तब भी नही मरने मे जब म
मीक पर पड्या तब तक के मोग मेरे वगीचे के वाली
पेडी को 103-द्वारा उरबडा मुने के और 103-
मुने चली मिला मेरे वडा पड्येन पर मेरे मना
करने के वायपु मी के मोग वही मने
और मुने मरने पीरने को मियाट के

(2)

लयात

मेरे द्वारा दुबारा वहां पहुंचने पर फिर 112 को काल
 कर कर के बुलाया गया था जब तक की मांग बहुत
 थी लोगों ने पैसे को उधार चुके थे
 112 नं. द्वारा उनसे रिक्लाम माफ़ माँगी गयी थी
 गयी तब मुझे वन विभाग को इसी प्रकार ही
 दूसरे दिन वन विभाग के सचिवी भौने पर पहुंचे
 तो सिंग लिमिटेड मांगो के रिक्लाम वन विभाग द्वारा
 पैसे भी चुकी वनाकर कर माँगी गयी थी
 अर्थात् जो मांग पैसे को उधार वा रहे फिरसे से जाना था
 उनसे माफ़ सिंग लिमिटेड

- 1 - सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्तारी निवासी शोका
- 2 - नंग पाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह शोका
- 3 - पुष्पेन्द्र पुत्र नंग पाल उर्फ शोका
- 4 - दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उर्फ शोका
- 5 - बालवीर उर्फ रीशू पुत्र रामचन्द्र उर्फ शोका
- 6 - बंदपुत्राश पुत्र दिगम्बर उर्फ शोका

काल 15-20. साक्षियों के साथ भौने पर
 सिंग लिमिटेड

19/03/2025

देवेंद्र मीनदार डी.ए.ए.ए.ए.
 निवासी उर्फ शोका लीगापदी
 mob - 9837049037

89

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रजक प्रती प्रजा श्री -

यंत्रणा

12-03-2025

@man 11-2-25

जाँच अधिकारी
वन भाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
चौमहा

जबदा

मैं - चन्द्रमन सिंह पुत्र श्री मंवर सिंह किसान ग्राम रूथोवा
 सीगां पट्टी का किसान हूँ मुझे वन विभाग गोरखपुर द्वारा
 लुनावा गाँव में आज दिनांक 19/03/25 को मालिकाना
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेड़ों से बगैरे मेरे वन परक मसौदा है
 तारीख 19/11/24 को अमानत गाँव में कुछ लोग
 सखीत उर्फ सतो पुत्र मुख्तियार . नंग पाल पुत्र श्याम उर्फ लुनावा
 पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नंगपाल . दिगम्बर पुत्र एडी सिंह
 एवं शीशु उर्फ शिशु पुत्र रामचन्द्रप लाल बिवासी शय्या
 अपने अन्य 15-20 लक्षियों के मसौदा मेरे मसौदे देवेन्द्र
 लाल से 200- से पेड़ों को उखाड़ रहे थे
 मैं भी तो पट्टा गाँव में बड़े बर मसौदा किया कि पेड़ों को
 मसौदा उखाड़ो मसौदा को लोग कुछ से लड़ने मात्रे मैं
 तैयार हो गये मेरे बड़े बर मसौदा करने पर भी नहीं माने
 और नकरी से मसौदा मेरे खेत में भी जितने पेड़ थे
 उन्हे जबरदस्ती 200- द्वारा वन लोगों ने उखाड़ दिये
 मेरे द्वारा लोग से अपने मसौदे देवेन्द्र को भी पूछना ही
 उसने 112- पुलिस लुनावा को भिरे भी नहीं माने तब उसने
 वन विभाग को पूछना ही तब वन विभाग लोग आये
 और आगे भी माफवादी गयी -

19-13-2025

चन्द्रमन सिंह, श्री मंवर सिंह
 ग्राम - रूथोवा (लीगापट्टी)
 फोन नं० - 9410446249

बयान

मधेदम, जे कुशलपाल सिधे वनरत्न वन वीट मगोरी/सडीग गोवर्धन रेज साठवाठ वन प्रभाग मधुरा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर हमराह जी राधेश्याम वन रक्षक नीमगांव वन वीट गोवर्धन रेज वन प्रभाग मधुरा के सामे दस्तावेज, स्वसय सं० 698 क मोजा शोवा प्रभाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन पर समथ लगभग 10.40 बजे सुबह पहुँचे तो पाया गया कि चकमार्ग 698 के किनारे पर पेड व फोबो जड से उखड़े पेडे है और चकमार्ग पर लाजा भिट्टी दोने किनारे से जे० सी० बी० काय डलवायी गयी है जोके पर उखड़े पेडे पेड फोबो की गणना व माप की गयी तो पाया 09 पेड नीम गोलार् क्रमशः 140, 60, 54, 67, 70, 53, 70, 73, 127 से०मी०, 01 पेड पीपल 60 से०मी०, 02 पेड शहदूत 60, 70, सेमी०, 06 पेड पापुल 70, 86, 62, 57, 62, 65 से०मी० 01 पेड आमुन 50 से०मी० 01 पेड पापरी 48 से०मी०, 01 पेड शीसम 44 से०मी० 05 पेड चूलीकोरा 35, 89, 45, 60, 67 से०मी० 01 पेड सजुन 77 से०मी० कुल पेड 27 तथा 27 नीख के झाड़ीनुमा फोबो व करोंदा के 22 झाड़ीनुमा फोबो मिली जोके पर कई बरामदगी बतायी गयी और आस पास छुटाछ कर उका अपराध करने वाले व्यक्तिगों के नाम पता जात कि ये तथा अपराध और साक्षिपुक्तों की पुष्टि कर पुरत विष्वागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21/11/2024-25 दर्ज किया गया तथा साक्षिपुक्त 1- रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि०-महार पोस्ट सौरव थाना मगोरी (2) सतवीर उर्फ सतलो पुत्र सुखलाल (3) नेतपाल पुत्र श्याम सिधे उर्फ गलाव सिधे (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेतपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिधे निवासी ग्राम शोवा प्रभाग सीगापट्टी पोस्ट सौरव थाना मगोरी के विरुद्ध तहसीर थाना मगोरी से ही गयी तथा अपराध (F.I.R) सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को सुरविर खास से सूचना मिली कि ग्राम शोवा मे चकमार्ग संख्या 698 क के दोनो तरफ बम्बा साइड जे उखड़े पेडो को उपरोक्त साक्षिपुक्तों के द्वारा पुनः पेडो को जे० सी० बी० से उखड़ा गया है जे स्वयं हमराह जी राधेश्याम वन रक्षक के साथ दस्तावेज पर समथ लगभग 8:०० बजे सुबह पहुँचा तो पाया कि चकमार्ग के किनारे बम्बा की तरफ जे० सी० बी० अशीन से उखाड़ा गया है तथा चकमार्ग पर भिट्टी डाली गयी है जोके पर पेडे फोबो की गणना व माप की गयी तो पाया कि 08 पेड नीम गोलार् क्रमशः 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से०मी० 03 पेड पापरी गोलार् 122, 100, 140 से०मी० 02 पेड चूलीकोरा गोलार् 68, 80 से०मी०, व 01 पेड होकर गोलार् 92 से०मी० कुल पेड 14 पाये गये आस पास छुटाछ करने पर पता चलता कि यह 14 पेड भी साक्षिपुक्त (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिधे (2) सतवीर उर्फ सतलो पुत्र सुखलाल (3) नेतपाल पुत्र श्याम सिधे उर्फ गलाव सिधे (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेतपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिधे के द्वारा ही पुनः जे० सी० बी० से उखड़ाये है अपराध और साक्षिपुक्तों की पुष्टि कर उका साक्षिपुक्तों विरुद्ध विष्वागीय वन अपराध सं० 12/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 तथा तहसीर थाना मगोरी से इकर मुकदमा दर्ज किया गया उका साक्षिपुक्तों के द्वारा दो बार अलग-अलग दिनांक व समथ से रक ही दस्तावेज पर से बिना पूर्वनिर्गत प्राप्त कि ये उखड़े रूप से 41 पेड व नीख के 27 झाड़ीनुमा फोबो व करोंदा के 22 झाड़ीनुमा फोबो को चकमार्ग पर दोनो किनारे से भिट्टी जे० सी० बी० से खोदकर डलने के दोरान उखड़ा कर ज० प्र० वल संरक्षण अधिसिधम 1976 की धारा 4 व 10 तथा माननीय उच्च तम-शापलाय की रिट पेटिशन 1238/1984 रठम.सी. अदालत बनाम भारत संघ से मोचित साई.रठ संख्या 527 से पाति (F.I.R) के तहत के सर्वेध पातन से सम्बन्धित) आदेश दिनांक 08/05/2015 की अनुमानना करने का खुला सेगीन अपराध किया है उका दोनो दस्तावेजों में उखड़े गये सूची 41 पेडों की समस्त लकड़ी रकव नीख के 27 फोबो झाड़ीनुमा और करोंदा के 22 झाड़ीनुमा फोबो की जलाऊ लकड़ी वर्तमान में लक्षी की साक्षिरत्ना में ररवी है। घटी मेरे बयान है।

बयानकर्ता
 12/03/25
 (कुशलपाल सिधे वनरत्न वन वीट
 मगोरी/सडीग गोवर्धन रेज
 वन प्रभाग मधुरा)

92

भदोवन

वयान

में शिवेशम वन रक्षक (वीट-नीम गाँव) रेंज गोवर्धन सांवा वन प्रभाग मथुरा शायम धर्मक वयान करवाएँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से छाष्ट सूचना के आघ्राट पर वारी कुरातपाल सिंह वन रक्षक वन वीट भगौरा, रेंज गोवर्धन के साथ धटना स्थल खसरा सं० 698 क मौजा शयौवा भाग सीगा पट्टी तहसील गोवर्धन पर समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुँचे तै पाया कि थकमार्ग खसरा सं० 698 की ताजा सफाई करायी गयी है तथा दोनो किनारे से ताजा मिट्टी डगवायी गयी है और थकमार्ग के किनारे पेड उरकडे पेडे है। मौके पर उरकडे पेडों की माप व गणना करायी गयी तै मौके पर 09 पेड नीम गौलरि कमरा: 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 सं० मी० व 127 सं० मी०-01 पेड पीपल 60 सं० मी० 02 पेड शहरत 60, 70 सं० मी०, 06 पेड पापूलट 70, 86, 62, 57, 62, 65 सं० मी० 01 पेड पापुन 50 सं० मी० 01 पेड पापडी 48 सं० मी० 01 पेड शौरम 44 सं० मी० 05 पेड ल्यूनी क्लोड 35 सं० मी 89 सं० मी० 45 सं० मी० 60 सं० मी० 67 सं० मी० 01 पेड अर्धन 77 सं० मी० कुण पेड 27 तथा नीबू के 27 झाडी-नुमा पौधे और करौदा के 22 झाडी-नुमा पौधे उरकडे हुये पाये गये मौके पर कार्य करामदगी बनायी और आस-पास पूढताइ की गयी पूढताइ में अग्निमुक्तों का नाम पत्रा ग्राह किया गया तै पत्रा यला कि उक्त 27 पेड व उक्त झाडी-नुमा पौधे अग्निमुक्त 1) रवेन्द्र 39 डेम सिंह सं० मदार पौस्ट सोरव थाना भगौरा जिला मथुरा 2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यध्वारा पुत्र मुखव्याट 3) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलामसिंह 4) कुन्दर पुत्र नेत्रपाल 5) दिगम्बर पुत्र हरीसिंह उर्फ निवासीगय ग्राम शयौवा भाग सीगा पट्टी पौस्ट सोरव थाना भगौरा जिला मथुरा के द्वारा थकमार्ग की सफाई व लै० सी० वी० मशीन से थकमार्ग पर मिट्टी डगवाने के दौरान खडे दोन उरकडवायां है अपराध और अग्निमुक्तों पुष्टि हेतु पर उरकट विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है तथा तहसील थाना भगौरा में देनरफ्त आर्द्र आर सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुखविये स्वास से सूचना मिलने पर पत्रा यला उक्त सभी अग्निमुक्तों के द्वारा उक्त थकमार्ग के किनारे से वज्जा की एक पुनः कुछ पेड लै० सी० वी० से उरकड वा दिये है। तै में वी कुरातपाल सिंह वन रक्षक के साथ पत्रा उक्त धटना स्थल पर पहुँचे तै पाया कि 08 पेड नीम गौलरि कमरा: 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 सं० मी० 03 पेड पापडी सं० 122, 100, 140 सं० मी० 02 पेड ल्यूनी क्लोड सं० 68, 80 सं० मी० तथा 01 पेड डोकर गौलरि-52 सं० मी० कुल पेड-14 पेडों की कार्य करामदगी बनायी गयी तथा अपराध और अग्निमुक्तों की पुष्टि कर विभागीय वन अपराध सं० 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक-08/12/2024 दर्जकर तहसील थाना भगौरा में सफा आर्द्र आर दर्ज कराने हेतु की गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तों 1) रवेन्द्र 39 डेमसिंह 2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यध्वारा पुत्र मुखव्याट 3) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलामसिंह 4) कुन्दर पुत्र नेत्रपाल 5) दिगम्बर पुत्र हरीसिंह निवासीगय ग्राम शयौवा भाग सीगा पट्टी पौस्ट सोरव थाना-भगौरा जिला मथुरा के द्वारा धटना स्थल थकमार्ग खसरा सं० 698 मौजा शयौवा भाग सीगा पट्टी के दोनो किनारों पर खडे पेडों की थकमार्ग पर मिट्टी रवीकड डगवाने के दौरान कुछ 41 पेड तथा नीबू के 27 व करौदा के 22 झाडी-नुमा पौधों का कामरा: अलग-अलग समय और दिनांक को बिना ध्वनिगति छाष्ट किये अवैध रूप से उरकडवा कर कु० कु० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा मा० उच्चतम-धायलय की रिट दिशेशन सं० 13381/1984 स.स. निहाल वनाम अरत संघ में दापट आर्द्र. सं०-527 में वृक्षों के अवैध पातन (सी० सी० जेड० अर्न्तगत) से सम्बन्धित धारित आदेश दि०-08/05/2015 की अनुमान का अपराध किया है। गद्दी मेरे वयान है

दिनांक - 12/03/2025

वयाकर्ता
 (शिवेशम वन रक्षक (वीट-नीम गाँव)
 रेंज गोवर्धन वन प्रभाग मथुरा

(93)

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन रेंज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा



पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,


श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:-

दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमाणीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
4. श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

0/c

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD1

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक):- 23/11/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:30 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 17:00 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

been

GA

04

95

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त थाना हाजा पर पंजीकृत होकर विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के मुझ विवेचक को सुपुर्द हुई। ग्रहण कर सम्पादित की गयी। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अपराध विवरण पत्र

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल चिक नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा

। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60:70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखडे मिले। फर्द बरामटगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपुर्तगी में दी गयी, सुपुर्तगीनामा सलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़लील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट मै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

- Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : एफआईआर दर्ज
- Witness Name(गवाह का नाम) :
- Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
- Age(उम्र) :
- Address (पता) :



House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल रपट कायमी इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि० गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० दिनांक घटना 21.11.2024 समय अदम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योवा भाग सीगापट्टी व फासला करीव 11 किमी० दिशा पश्चिम हल्का चौकी सौख वामुद्देयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तफ्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो० उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार सिंह करेगे । तकमीला दर पेश है डेली जरायम रवाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार सिंह करेगे ।

98

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का एफआईआर लेखक थाना परिसर में मौजूद है। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

११

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान एफआईआर लेखक है0का0 1550 गिरजेश कुमार पुत्र श्री लज्जा राम नि0 नगला सिंहमन थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद पी0एन0ओ0 न0 062241410 मो0 न0 9411020191 हाल तैनात थाना मगोरा जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 22.11.2024 को मेरी झूटी थाना कार्यालय में कार्यलेख पर थी श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तपतीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 आपको सुपुर्द की गयी । वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते आपको दी गयी । यही मेरा बयान है ।

(97) (100)

S.No.(क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फर्ट बरामदगी व सुपुर्दगीनामा थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ। नकल कर संलग्न सीडी किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 7**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

(101)

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

नकल सुपुर्दगीनामा मैं चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग (सींगापट्टी) पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.15 बजे घटनास्थल गांव श्योबा भाग सींगापट्टी से निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भई मा० न्यायालय या वन विभाग उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा। सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है: क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी० 140 सेमी० अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी० सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी० सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी० सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी० सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी० सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी० सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी० सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी० सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी० सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी० सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी० सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी० सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी० सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी० सम्पूर्ण पेड सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम व पता मोबाइल नंबर चन्द्रपाल स्योबा 9410446249 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करोंदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम कुशलपाल व०र०

98
102

S.No.(क्र.सं.) 8

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल बरामदगी आज दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.00 बजे घटनास्थल श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड़ के किनारे पर कटी पड़ी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी० 140 सेमी० अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी० सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी० सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी० सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी० सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी० सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी० सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी० सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी० सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी० सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी० सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी० सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी० सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी० सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी० सम्पूर्ण पेड गवाह हस्ताक्षर नाम व पता राधेश्याम व०र० जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करोंदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर कुशलपाल वन संरक्षण

103

S.No.(क्र.सं.) 9

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

Street Name

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से मो0 न0 7895373793 से दूरभाष सम्पर्क किया गया तो वादी ने बताया कि अभी किसी कार्य सरकार में व्यस्त हूँ, समय मिलते ही आपके पास आकर बयान दर्ज करा दूँगा।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

99
104

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 23/11/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 23/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram si
23-11-24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted by -

Dinesh
24.11.24

श्री श्री रजिस्ट्रार कार्यालय

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्रा

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 22/11/2024 22:19

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day गुरुवार
(दिन):

Date From 21/11/2024
(दिनांक से):

Date To 21/11/2024
(दिनांक तक):

Time Period पहर 1
(समय अवधि):

Time From 00:00 बजे
(समय से):

Time To 00:00
(समय तक): बजे

106

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 056 Date & Time 22/11/2024 22:19 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. पश्चिम, 11 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address ग्राम श्योबा, भाग नैनूपट्टी
(पता):(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
 (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम)
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7595373793

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म 'I')

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रवेन्द्र		का नाम : प्रेमसिंह	1. गाँव भदार, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	सतवीर उर्फ सतो		पिता का नाम : मुख्त्यार	1. ग्राम श्यौबा भाग नैनूपट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
4	पुष्पेन्द्र		पिता का नाम : नेत्रपाल	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
5	दिगम्बर		पिता का नाम : हरी सिंह	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अबगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पेड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-

1109

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

1) व्यास वर्ग के पेड-पौधे उखड़े मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट नै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Ravindra Kumar Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): Yadav (पद):

No. 972140517 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

110

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म !!)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

District

(ज़िला):

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी !!)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge.

Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS Magorra

Rank I (Inspector)

No. 9454403945



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मगोरा

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 056

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 22/11/2024 22:19 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS Magorra

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

6. Subject (विषय):

कायमी मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0

7. G.D. Brief

इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पोछे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 दिनांक घटना 21.11.2024 समय अदम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी व फासला करीव 11 किमी0 दिशा पश्चिम हल्का चौकी सौख वामुहेयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पोछे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तफतीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे। तक्मीला दर पेश है डेली जरायम रवाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर स्कसत किया गया। नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 22/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403945

सुपुर्दगीनामा

मै. ~~पुत्र~~ ~~पुत्र~~ पुत्र ~~पुत्र~~ ~~पुत्र~~ ~~पुत्र~~ निवासी ग्राम ~~गोला~~ ~~गोला~~ पोस्ट ~~गोला~~ ~~गोला~~ तहसील ~~गोला~~ ~~गोला~~ थाना ~~गोला~~ ~~गोला~~ जिला ~~गोला~~ ~~गोला~~ का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:15 AM बजे घटना स्थल ~~गोला~~ ~~गोला~~ (सीवापल्ली) से निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा0 न्यायालय या वन विभाग उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ-तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई/सेमी०	अधिकृत	
1	सीम	140-सेमी०	सम्पूर्ण पेड़	0 से 1 पासवर्ग
2	"	60 - "	"	सीवू-27-पेड़
3	"	54 - "	"	करोवा-22-पेड़
4	पीपल	60 - "	"	
5	शहदारा	60 - "	"	
6	पापुलर	70 - "	"	जलोनी लकड़ी
7	"	86 - "	"	
8	"	62 - "	"	कमल लगभग
9	"	57 - "	"	90 kg
10	"	65 - "	"	
11	जामुन	50 - "	"	
12	सीम	70 - "	"	
13	"	67 - "	"	
14	शहदारा	70 - "	"	
15	पापुलर	48 - "	"	
16	पापुलर	62 - "	"	
17	शहदारा	44 - "	"	
18	सीम	53 - "	"	
19	जलोनी लकड़ी	35 - "	"	
20	सीम	70 - "	"	
21	सीम	73 - "	"	
22	सर्जन	77 - "	"	
23	जलोनी लकड़ी	69 - "	"	
24	"	45 - "	"	
25	"	60 - "	"	
26	"	67 - "	"	
27	सीम	127 - "	"	

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम


कुशल पाव
क.र.

सुपुर्दगी - गोला

9510446249

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM बजे घटना स्थल श्रीगोवा जमाता सीमा पर
पारोडा के किनारे पर पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष
 संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
 विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलार्ध	सेमी	आपेक्षित	
1-	नीम	140	सेमी	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60	"	"	
3-	"	54	"	"	
4-	पीपल	60	"	"	0 से 1 व्यास वर्ग
5-	शहदरत	60	"	"	नींबू-27-पेड़
6-	पापुलर	70	"	"	करोड़ा-22-पेड़
7-	"	86	"	"	
8-	"	62	"	"	जालोनी लकड़ी
9-	"	57	"	"	वजन लगभग
10-	"	65	"	"	90 kg
11-	आरुन	50	"	"	
12-	नीम	70	"	"	
13-	"	67	"	"	
14-	शहदरत	70	"	"	
15-	पापडी	48	"	"	
16-	पापुलर	62	"	"	
17-	शहदरत	44	"	"	
18-	नीम	53	"	"	
19-	जालोनी लकड़ी	35	"	"	
20-	नीम	70	"	"	
21-	"	73	"	"	
22-	आरुन	77	"	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता			बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	5			
25-	"	60	"	"	
26-	"	67	"	"	
27-	नीम	127	"	"	

शेखर
 वर

कुशल पोला
 वर

194

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD2
Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341 Date (दिनांक):22/11/2024
District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा
P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)
b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण 27/11/2024
दैनिकी तैयार करने की दिनांक):
c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे
d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 19:30 बजे
Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0
1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय
22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज
गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2)
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र
नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

- a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य
b) Witness Name(गवाह का नाम) :
c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
d) Age(उम्र) :
e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 1 दिनांक 23.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का वादी व वन रक्षक राधेश्याम हस्व तलब थाना उपस्थित हुआ। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

148

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि0 दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा मो0 न0 7895373793 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः

140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखड़े मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोर्ग जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में
दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा
बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री राधेश्याम वन रक्षक (बीट नीमगांव, गोवर्धन) पुत्र श्रीराम नि0
गांव भैंसा थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा मो0 न0 8791315814 हाल तैनात वन संरक्षक
गोवर्धन जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त
शिकायत के आधार पर मैं व श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग
सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड
उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः
140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6
पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड
शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल
27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखड़े
मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की
सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1.
रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2.
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल



5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से घटनास्थल का निरीक्षण कराने हेतु कहा गया तो वादी तैयार है वादी को साथ लेकर घटनास्थल पर आया। हस्व निशान देही वादी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अपराध स्थल परीक्षण

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

719

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station (पुलिस स्टेशन) :

Country (देश) :

f) Description (विवरण) :

निरीक्षण घटनास्थल घटनास्थल ग्राम श्योबा में नव निर्मित रास्ता का है। घटनास्थल को चिन्ह A व B से दर्शाया गया है घटनास्थल के उत्तर दिशा में खेत हितेन्द्र पुत्र श्री बच्चू सिंह दक्षिण में गांव श्योबा को रास्ता जाता है पूरव में खेत हेमन्त पुत्र खजान सिंह एवं ओमप्रकाश पुत्र सोरन सिंह व विनोद पुत्र भगवत व कुवेद सिंह पुत्र शंकर लाल तथा वेदपाल पुत्र दिगम्बर सिंह के स्थित हैं। पूरव दिशा में सौख मथुरा रोड़ स्थित है। जिसका अक्षांश 27.4333 व देशांत 77.51572 है। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। वाद नक्शा नजरी संलग्न सीडी किया जाता है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

102
1.20

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 27/11/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 27/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram si
27-11-024

Sir

Submitted Pl-

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक


No. (सं.): 972140517

M. Singh
28.11.24

मु० अ० सं० ०३४१/०२४ धारा ४/१० उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम १९७६ धारा ३(क), मयूर

Lat. २७.४३२३

Long. ७७.५१५७२



Interpretation: धरना स्थल गा० ह्योता धारा मयूरी मयूर के जंगल का है धरना स्थल जहाँ पेड़ डबड़/काटे को चिन्ह A B के रूप में दर्शाया गया है। जो खेत देवेन्द्र व पत्रमान का है।
 ② धरना स्थल के इतर में खेत हिरेन्द्र व पश्चिम दिशा में नया बाल्वा एकरोड ह्योता का जाता है पश्चिम दिशा में खेत हेमन्त, ओम प्रकाश, विनोद कुंवर सिंह, व वेदपाल के लिए है। तथा पूर्व दिशा में रोड सोख से मयूर का जाता है लिखा है।

विवरण
 राजा. २४
 वि. ३/२०१६
 क. मयूरी, मयूर

122

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोर्वा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 09/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 15:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

R

009

**House No.**

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****Street Name**

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 2 दिनांक 27.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****Street Name**

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा वादी चौकी सौख पर उपस्थित आये हैं जिन्होंने मुकदमा उपरोक्त में पूर्व फर्द बरामदगी से अलग पेड काटे जाने के सम्बन्ध में एक फर्द बरामदगी की छायाप्रति मय प्रार्थना पत्र

व अन्य प्रपत्र मुझ विवेचक को प्राप्त कराये है। जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन प्रार्थना पत्र सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125. 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 सेमी कुल 14 पेड उखड़े मिले। उखड़े पेडों की फर्ट बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मयौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मयौरा जिला मथुरा के द्वारा जेसीबी द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10.का उल्लघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

13381/1984 .. VERSUS UNION OF INDIA ORS LA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता : ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो0 7895373793 हस्ताक्षर अपठनीय अनुभाग अधिकार गोवर्धन प्रार्थी हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन फर्ड बरामदगी फर्ड बरामदगी आज दिनांक 08.12.2024 को समय 09.00 बजे घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड किनारे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 106 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 2 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 78 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 3 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 108 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 4 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 105 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 5 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 98 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 6 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 155 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 7 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 120 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 8 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 125 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 9 प्रजाति पापडी गोलाई से0मी0 122 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त

128

सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 10 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 100 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 11 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 140 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 12 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 68 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 13 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 80 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 14 प्रजाति छोंकर गोलाई से०मी० 92 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष नोट: लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है। गवाह हस्ताक्षर नाम व पता हस्ताक्षर अपठनीय (राधेश्याम) बनरक्षक गोवर्धन रेंज जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त के वादी वनरक्षक कुशलपाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ प्राप्त करायी फर्द बरामदगी की छायाप्रति के अनुसार पेड़ों की जड़ों को दिखाया जिस पर नंबरिंग पड़ी है।

124

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 09/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted PL

10.12.24
JHO

Ravindra
09-12-2024

सेवा में,

129

प्रभारी निरीक्षक

थाना मर्गोरा।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125, 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 से0मी0 कुल 14 पेड उखाड़े मिले। उखाड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).13381/1984 M.C. MEHTA VERSUS UNION OF INDIA & ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थायी पता :-

ग्राम - दौलतपुर बसाऊ,

पोस्ट व थाना - नौहड़ील, जिला - मथुरा

मो0 - 7895373793

प्रार्थी


(कुशलपाल)

वनरक्षक

गोवर्धन रेंज, प्रभारी मथुरा


अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन

o/c

फर्द बरामदगी

129

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम शोला भाग

सीजापट्टी चक्रोड़ के डिग्रे पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश

वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका

विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	उत्पत्ति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण पक्ष
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	सीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	होंडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(शशि श्याम)
वनरक्षक
जोवर्धन रंज

(कुशलपाल)
व. र.
जोवर्धन रंज

कायालय क्षेत्राय वन आधिकार, गावधन रज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

178



130

पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,

श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:- दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. प्रभागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
 4. श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

133

131

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD4

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्वा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 30/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:20 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 19:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Secn

Co9

**House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 3 दिनांक 09.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी आज मैं विवेचक थाना हाजा से खाना होकर ग्राम स्यौबा आया हूँ। जहाँ मुकदमा उपरोक्त की लकड़ी को अपनी सुपुर्दगी में लेने वाले चन्द्रभान पुत्र स्व0 भवर सिंह को तलाश किा

124

133

तो वह अपने घर पर मौजूद मिले। जिनसे मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री चन्द्रभान पुत्र स्व० भवंर सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्गा जनपद मथुरा उम्र करीब 68 वर्ष मो० न० 9410446249 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को मैं गांव में ही मौजूद था हमारे गांव से नहर बम्बा की ओर जाने वाली चकरोड़ की नाप तोल एवं सिमांकन राजस्व टीम द्वारा किया गया था मेरे भतीजे देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्गा मथुरा के चक में लगे पेड़ पौधे चकरोड़ की हद में आ गये थे। क्योंकि चकरोड़ पर खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह द्वारा कराया गया था जिसका ठेका ठेकेदार श्री चिरन्जीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द्र नि० मुस्तफाबाद परखम थाना फरह मथुरा को होने वाला था परन्तु अभी तक ठेका हुआ भी नहीं था कि हमारे गांव के पास के गांव भदार निवासी रवीन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह के साथ रहकर उनके ठेके आदि के कार्यों की देखरेख करता है ने हमारे गांव के पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल एवं नेत्रपाल सिंह पुत्र श्याम सिंह व सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुख्तयार सिंह एवं दिगम्बर सिंह पुत्र हरी सिंह के साथ मिलकर राजनीति की हनक दिखाते हुए बिना किसी बन विभाग की परमीशन के रविन्द्र एवं हमारे गांव के लोगों ने मिलकर बिना ठेकेदार चिरन्जीलाल गोला की मौजूदगी में जे०सी०बी० मंगाकर चकरोड़ की हद में आये हरे भरे पेड़ पौधों को जे०सी०बी० से उखाड़कर चकरोड़ पर मिट्टी डाल दी। जिसकी सूचना मैंने अपने भतीजे देवेन्द्र फौजदार को दी और उसने वन विभाग से पेड़ों को उखाड़ दिये जाने के सम्बन्ध शिकायत की जिस

139

पर वन विभाग के वनरक्षक श्री कुशलपाल मौके पर आये और समस्त उखड़े पड़े पेड़ पौधों की नाप तोल कर समस्त पेड़ पौधों को मेरी सुपुर्दगी में देकर थाने जाकर पाँचों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया तथा मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद वनरक्षक श्री कुशलपाल द्वारा अन्य छूटे हुए 14 वृक्षों की नाप तोल करने के बाद उसकी सूचना भी थाने पर दी गयी थी और वृक्षों को स्वयं लेकर गये थे मेरी सुपुर्दगी में नहीं दिया था। जो जो मेरी जानकारी में था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (काँलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

तत्पश्चात मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य लोगों से जानकारी करनी चाही तो कुछ लोग गवाही से बचने की बात कहते हुए जिनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

135

109

128

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान गवाह श्री वासुदेव सिंह पुत्र श्री कारे नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष मो० न० 9950422807 ने पूछने पर बताया कि साहब हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेडों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

136

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान गवाह श्री वेदप्रकाश पुत्र महाराज सिंह नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ और न ही गांव की राजनीती में हिस्सा लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पडी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा आधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेडों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 7**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

137

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान गवाह श्री रामगोपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि० स्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा उम्र करीब 46 वर्ष मो० न० 9871815991 ने पूछने पर बताया कि साहब मैं गांव की राजनीती में हिस्सा नहीं लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)